सत्यमेव जयते

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री अमित शाह
माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

“सहकार-से-समृद्धि”

प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियां

“मार्गदर्शिका”
(मानक संचालन प्रक्रिया)

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावना

माननीय प्रधान मंत्री जी की ***"सहकार-से-समृद्धि"*** *की संकल्पना को साकार करने की दिशा में, भारत सरकार द्वारा 6 जुलाई 2021 को* ***नया सहकारिता मंत्रालय*** *बनाया गया, जिसने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में 3 वर्षों की अल्पावधि में 'पैक्स से एपेक्स' तक की यात्रा में कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।*

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को ***बहुआयामी और बहुउद्देशीय*** *आर्थिक संस्थाओं में रूपांतरित करने के लिए मंत्रालय द्वारा* ***मॉडल उपविधियां*** *तैयार की गई, जो पैक्स को* ***डेयरी, मात्स्यिकी, अन्न भंडारण, लघु-अवधि, मध्यम-अवधि और दीर्घकालिक ऋण, आदि*** *सहित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियां करने में सक्षम बनाती हैं।*

पैक्स अब ग्रामीण जनता की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बहु-सेवा केंद्रों के रूप में कार्य कर रही हैं, जिसमें विभिन्न सेवाएं शामिल हैं, जैसे कि ***सामान्य सेवा केंद्र (CSC)****,* ***प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, पेट्रोल/डीजल खुदरा आउटलेट, एलपीजी वितरण, पानी समिति, आदि।***

प्राथमिक सहकारी समितियों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश की सभी पंचायतें सुदृढ़ बहुउद्देशीय सहकारी समितियों से आच्छादित हों। इस उद्देश्य से, सरकार ने ***पांच वर्षों में देश की सभी पंचायतों/ गांवों को कवर करते हुए दो लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी।*** *इस योजना के देशव्यापी कार्यान्वियन में* ***राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ-साथ नाबार्ड, एनडीडीबी व एनएफडीबी*** *महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हैं।*

इस दिशा में यह आवश्यक था कि उपरोक्त उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए एक मानकीकृत संचालन प्रक्रिया तैयार की जाए। तदनुसार, सहकारिता मंत्रालय ने ***पहले 100 दिनों की कार्ययोजना*** *में इस मार्गदर्शिका की तैयारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।*

****

बहुउद्देशीय-पैक्स (गोदामों और कस्टम हायरिंग सेंटर के साथ) घमूड़वाली, श्री गंगानगर, राजस्थान, स्रोत: सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 2024

अंतर्वस्तु

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	संक्षिप्ताक्षरों की सूची	I
1	पृष्ठभूमि	1
2	योजना	2
3	दृष्टिकोण	2
4	कार्यान्वयन तंत्र	4
5	विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व	4
6	लक्ष्य और समयसीमा	5
7	कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय	5
8	समीक्षा एवं निगरानी	6

अनुलग्नक

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ सं.
अनुलग्नक- I	विभिन्न समितियों की संरचना	7
अनुलग्नक- II	भूमिका और उत्तरदायित्व	8
अनुलग्नक- III	लक्ष्य-एक नज़र में (राज्यवार, वर्षवार, एजेंसीवार)	14
अनुलग्नक- IV	नाबार्ड द्वारा नए एम-पैक्स का गठन	19
अनुलग्नक- V	एनडीडीबी द्वारा नए एम-डीसीएस का गठन	31
अनुलग्नक- VI	एनएफडीबी द्वारा नए एम-एफसीएस का गठन	42

तालिका

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ सं.
तालिका 1	नाबार्ड का लक्ष्य (राज्यवार, वर्षवार, चरणवार)	29
तालिका 1.1	नाबार्ड द्वारा नये एम-पैक्स का गठन (वर्षवार)	30
तालिका 2	एनडीडीबी का लक्ष्य (राज्यवार, वर्षवार)	39
तालिका 2.1	एनडीडीबी द्वारा नये एम-डीसीएस का गठन (वर्षवार)	41
तालिका 3	एनएफडीबी का लक्ष्य (राज्यवार, वर्षवार)	48
तालिका 3.1	एनएफडीबी द्वारा नए एम-एफसीएस का गठन (वर्षवार)	49

फिगर / ग्राफ

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
चित्र.1	फ़्लो चार्ट-नाबार्ड	16
चित्र.2	फ़्लो चार्ट-एनडीडीबी	17
चित्र.3	फ़्लो चार्ट-एनएफडीबी	18

संक्षिप्ताक्षरों की सूची	
बीओडी	निदेशक मंडल
बीडीपी	व्यवसाय विकास योजना
बीएमसी	बल्क मिल्क कूलर
डीसीसीबी	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
डीसीडीसी	जिला सहकारी विकास समिति
डीसीएस	डेयरी सहकारी समिति
डीडीएम	जिला विकास प्रबंधक
डीएमयू	जिला दुग्ध संघ
एफसीएस	मत्स्य सहकारी समितियां
फिशकोफेड	राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायतें
आईएमसी	अंतर-मंत्रालयी समिति
जेडब्ल्यूसी	संयुक्त कार्य समिति
एमओसी	सहकारिता मंत्रालय
एम-डीसीएस	बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियां
एम-एफसीएस	बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियां
एम-पैक्स	बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नाफ्सकॉब	राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड.
एनसीडी	राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस
एनसीडीसी	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
एनसीडीएफआई	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ
एनडीडीबी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एनएफडीबी	राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड
एनएलसीसी	राष्ट्रीय स्तर समन्वय समिति
एनपीडीडी	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
पीएसीएस /पैक्स	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पीडीसी	पैक्स विकास प्रकोष्ठ
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
पीएमएमएसवाय	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
एससीडीसी	राज्य सहकारी विकास समिति
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक

I. पृष्ठभूमि

सहकारिता आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और एक सदी से भी अधिक समय से सहकारिता देश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन का एक तरीका रही है। वर्तमान में, भारत में लगभग 29 करोड़ लोग सीधे तौर पर सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सहकारी समितियाँ, विशेष रूप से कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रक, ग्रामीण आबादी को न केवल आजीविका के अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा तंत्र भी प्रदान करती हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने भी इन जमीनी स्तर की सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने के लिए एक सर्वांगीण प्रयास के अपने आह्वान में इनके महत्व पर जोर दिया है ताकि ***'सहकार-से-समृद्धि'*** की संकल्पना को साकार किया जा सके।

इस दिशा में सहकारिता मंत्रालय द्वारा **प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए** ***मॉडल उपनियम*** बनाये गए हैं**,** जो पैक्स को 25 से अधिक क्षेत्रों में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को विविधता प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋण; उर्वरक, कीटनाशक, बीज वितरण; मत्स्य पालन, डेयरी, पोल्ट्री गतिविधियां; कस्टम हायरिंग सेंटर; खाद्यान्न की खरीद; भंडारण सुविधा; उचित मूल्य की दुकानें; एलपीजी / पेट्रोल / डीजल डीलरशिप; बैंक मित्र / व्यवसाय संवाददाता; बीमा सुविधा; सामान्य सेवा केंद्र; आदि शामिल हैं। इस प्रकार पैक्स को बहुउद्देशीय पैक्स में परिवर्तित किया जा रहा है।

मॉडल उपनियम पैक्स को बेहतर प्रशासन, व्यवहार्य व्यावसायिक संचालन और कुशल कामकाज के लिए **सक्षम कानूनी और प्रशासनिक संरचना** भी प्रदान करते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए उनकी सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के प्रावधान भी इनमें किए गए हैं।

समावेशी और संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इन जमीनी स्तर की सहकारी समितियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि इनका विस्तार देश भर में समान रूप से हो और सभी पंचायतों/गांवों को कवर किया जाए। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार[1], देश में लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में से 17,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अभी भी पैक्स द्वारा कवर नहीं की गई हैं। इसके अलावा, 5,000 से अधिक मौजूदा पैक्स, 41,000 से अधिक मौजूदा डेयरी सहकारी समितियां और 4,500 से अधिक मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियां निष्क्रिय या परिसमापन के अधीन हैं, इस प्रकार इन समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ किसानों के कवरेज में एक बड़ा वैक्यूम बना हुआ है।

सहकारी समितियों की वास्तविक क्षमता का दोहन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें, यह जरूरी है कि सभी पंचायतों/गांवों को व्यवहार्य और जीवंत बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा कवर किया जाए। इससे करोड़ों छोटे और सीमांत किसान सदस्यों को संतुलित क्षेत्रीय विकास का लाभ उठाने के अवसर भी मिलेंगे।

इस दिशा में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों ने अपने निष्ठावान और निरंतर प्रयासों के माध्यम से इस योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक, देश भर में लगभग 7,000 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की है। परन्तु, समयबद्ध तरीके से देश की सभी पंचायतों/गांवों को व्यवहार्य और जीवंत बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों से कवर करने के लक्ष्य

[1] राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार 7-08-2024 तक

को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, यह समय की मांग है कि सभी एजेंसियों को एक साथ लाकर लक्ष्य, समयसीमा, भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित कर, प्रक्रियाओं का मानकीकरण सुनिश्चित किया जाए – इसके लिए एक ***"मार्गदर्शिका"*** लाई जाए, जो एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

II. योजना

वर्तमान योजना का उद्देश्य पांच वर्षों की अवधि में देश की सभी पंचायतों/गांवों को कवर करते हुए दो लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, **डेयरी और** मात्स्यिकी **सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से ग्रामीण परिदृश्य को सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र से परिपूर्ण करना है**, जिससे सहकारी आंदोलन को सशक्त करके इसकी पहुँच को जमीनी स्तर तक सघन किया जा सके।

III. दृष्टिकोण

इस योजना को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा।

नाबार्ड भारत का शीर्ष विकास बैंक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में संसद के एक अधिनियम के तहत देश में सहकारी समितियों के विकास सहित सतत और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह बनासकांठा एम-डीसीएस में माइक्रो-एटीएम लेनदेन का अवलोकन करते हुए, स्रोत – सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

एनडीडीबी का गठन वर्ष 1965 में दुग्ध उत्पादक-स्वामित्व वाले और नियंत्रित संगठनों को बढ़ावा देने, वित्तपोषित करने और सहयोग देने के लिए किया गया था। इसके प्रयासों का मूल आधार सहकारी रणनीतियाँ और सिद्धांत हैं।

दूध संग्रहण केंद्र पर डीसीएस सदस्य, स्रोत - एनडीडीबी

एनएफडीबी को देश में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा एकीकृत और समग्र तरीके से मत्स्य विकास का समन्वय करने के लिए वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था।

मत्स्य सहकारी किसान अपने उत्पाद के साथ - स्रोत एनएफडीबी

अपनी लंबी कार्ययात्रा में, इन प्रमुख संगठनों ने भागीदारीपूर्ण और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले हस्तक्षेपों के माध्यम से भारतीय गांवों में जीवन को बदल दिया है। अपने संबंधित क्षेत्रों में इनके विशाल अनुभव का लाभ उठाने के लिए, देश की सभी पंचायतों/गांवों में सहकारी समितियों की पहुंच और कवरेज का विस्तार करने हेतु इनकी सेवाओं को शामिल किया गया है।

नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी क्रमशः नई एम-पैक्स, प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों और प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के गठन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस कार्य में, **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारें प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लक्ष्यों को सफलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करके सभी हितधारकों को एक साथ समाहित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और आवश्यकतानुसार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगी।**

IV. कार्यान्वयन तंत्र

योजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं, जो कि निम्नवत हैं:

- **अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी)** माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में;
- **राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति (एनएलसीसी)** सचिव (सहकारिता मंत्रालय) की अध्यक्षता में;
- **राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी)** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में; तथा
- **जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी)** जिला स्तर पर, संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में।

उपरोक्त के अतिरिक्त, डीसीडीसी की **उप-समिति के रूप में एक संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)** का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित राज्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी और जिला स्तरीय संघों/संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संबंधित हितधारकों की सहायता से जेडब्ल्यूसी सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नई एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर की समिति होगी।

उपर्युक्त समितियों की संरचना **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों द्वारा संचालित एक **परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)** स्थापित की जाएगी, जिसका उपयोग सामाजिक लामबंदी, संबंधित विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय और योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों की सुविधा हेतु किया जाएगा।

V. विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

योजना के प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), राज्य दुग्ध संघों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), जिला दुग्ध संघों, राज्य मत्स्य संघों, जिला मत्स्य संघों, सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय (भारत सरकार), आदि सहित सभी संबंधित हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है।

नए एम-पैक्स के गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए **नाबार्ड** सभी संबंधित हितधारकों के बीच समग्र समन्वय, संचालन के क्षेत्रों की पहचान, राज्य और जिलावार कार्य योजनाएं तैयार करना, राज्य/जिला स्तरीय

संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन, सामाजिक लामबंदी, पंजीकरण की सुविधा, व्यवसाय विकास योजनाएं तैयार करना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आदि के लिए जिम्मेदार होगा।

डेयरी सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए **एनडीडीबी** सभी संबंधित हितधारकों के बीच समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा और राज्य और जिलावार कार्य योजनाएं तैयार करेगा, राज्य/जिला स्तर पर संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन, विभिन्न भारतीय सरकार की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने में दूध संघों/महासंघों को आवश्यक मार्गदर्शन, नई डेयरी सहकारी समितियों को एकीकृत करने के लिए दुग्ध मार्ग प्लान तैयार करने में उनकी सहायता करेगा, आदि।

मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए, **एनएफडीबी** सभी संबंधित हितधारकों के बीच समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा और राज्य और जिलावार कार्य योजनाएं तैयार करेगा, मत्स्य सहकारी समितियों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा, उन्हें अपने उत्पाद के विपणन के लिए अपेक्षित अग्रिम और पश्चवर्ती संपर्क प्रदान करेगा, क्षमता निर्माण करेगा, आदि।

विभिन्न हितधारकों की विस्तृत भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व **अनुलग्नक-II** में उल्लिखित हैं।

विभिन्न हितधारकों के लिए परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार, नए एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के लिए नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के दृष्टिकोण को दर्शाने वाले प्रवाह चार्ट क्रमशः **चित्र I, II और III** में दिखाए गए हैं।

VI. लक्ष्य और समयसीमा

पांच वर्ष की अवधि में देश में दो लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी या मत्स्य सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य है, ताकि ग्रामीण परिदृश्य को सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र से संतृप्त किया जा सके। डेटा विश्लेषण के अनुसार, तीनों कार्यान्वयन एजेंसियों के पांच साल के लक्ष्य इस प्रकार होंगे:

- **नाबार्ड** देश भर में दो चरणों में लगभग **70,000 नए एम-पैक्स के गठन** के लिए जिम्मेदार होगा – चरण-I (2024-2026) में लगभग 22,750 नए एम-पैक्स पंजीकृत किए जाएंगे और चरण-II (2026-2029) में शेष लगभग 47,250 नए एम-पैक्स पंजीकृत किए जाएंगे।
- **एनडीडीबी** लगभग **1,03,000 डेयरी सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण** के लिए जिम्मेदार होगा, जिनमें से लगभग 56,500 नई डेयरी सहकारी समितियां बनाई जाएंगी और लगभग 46,500 मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को भारत सरकार के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) 2.0 के माध्यम से सशक्त किया जाएगा।
- **एनएफडीबी** लगभग **11,500 मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण** के लिए जिम्मेदार होगा, जिनमें से लगभग 6,000 नई मत्स्य सहकारी समितियां बनाई जाएंगी और लगभग 5,500 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), आदि सहित भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया जाएगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, **राज्य सरकारों** द्वारा लगभग **25,000 नई एम-पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित** की जाएंगी।

कार्यान्वयन एजेंसी-वार वार्षिक लक्ष्य समय-सीमा के साथ **अनुलग्नक-III में** उल्लिखित हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों के वार्षिक लक्ष्य ऊपर परिभाषित समग्र व्यापक लक्ष्यों के भीतर परिवर्तनशील हैं।

नई एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में शामिल विस्तृत चरण-वार प्रक्रियाओं के साथ-साथ अपेक्षित परिणाम और समयसीमा क्रमशः **अनुलग्नक-IV, V और VI में** उल्लिखित हैं। नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के **गैंट चार्ट क्रमांक 1, 2 और 3 क्रमशः** उनके संबंधित अनुलग्नकों के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, तीनों कार्यान्वयन एजेंसियों - नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के राज्य-वार लक्ष्य क्रमशः **तालिका 1, 2 और 3 के** अनुसार हैं।

VII. कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय:

यदि एम-डीसीएस और एम-एफसीएस ऋण गतिविधियाँ करना शुरू करते हैं, तो नाबार्ड उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसी प्रकार, यदि एम-पैक्स और एम-एफसीएस डेयरी गतिविधियाँ करना शुरू करते हैं, तो एनडीडीबी उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, तथा यदि एम-पैक्स और एम-डीसीएस मात्स्यिकी गतिविधियाँ करना शुरू करते हैं तो, एनएफडीबी उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

VIII. समीक्षा एवं निगरानी:

राष्ट्रीय स्तर पर एनएलसीसी, **राज्य स्तर पर एससीडीसी और जिला स्तर पर डीसीडीसी का गठन पहले ही हो चुका है। ये** समितियां **मासिक आधार पर** प्रगति की **समीक्षा** करेंगी।

खाद्यान्न गोदाम - सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत प्रतिनिधि मॉडल

अनुलग्नक- I

विभिन्न समितियों की संरचना

i. राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति (एनएलसीसी)

राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति (एनएलसीसी) का गठन सचिव, सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) की अध्यक्षता में किया गया है और इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार), पशुपालन एवं डेयरी विभाग (भारत सरकार) तथा मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) के सचिव; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव (सहकारिता विभाग); नाबार्ड, एनडीडीबी के अध्यक्ष; एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी; एनसीडीसी के एमडी; नाफ्सकॉब, एनसीडीएफआई, फिशकोफेड के अध्यक्ष/एमडी, आदि सदस्य के रूप में शामिल हैं।

ii. राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी)

राज्य स्तर पर संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) का गठन किया गया है और इसमें राज्य के सहकारिता, कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास, वित्त, राजस्व, बागवानी विभागों के अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, सहकारी समितियों के पंजीयक; नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि; राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष/एमडी; डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के राज्य संघों के अध्यक्ष/एमडी, आदि सदस्य के रूप में शामिल हैं।

iii. जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी)

जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) का गठन जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है और इसमें सीईओ जिला पंचायत; अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व); जिला सहकारिता अधिकारी/ सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार; कृषि और किसान कल्याण विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के जिला अधिकारी; प्रबंध निदेशक डीसीसीबी; जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड; एनडीडीबी, एनएफडीबी के प्रतिनिधि; प्रबंध निदेशक, जिला दुग्ध संघ और जिला मत्स्य संघ; आदि सदस्य के रूप में शामिल हैं।

iv. संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी – डीसीडीसी की उपसमिति)

जिला स्तर पर संयुक्त कार्य समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिले के सहकारिता प्रमुख (सहकारी समितियों के जिला रजिस्ट्रार/जिला सहकारिता अधिकारी), पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन विभागों के जिला प्रमुख, डीडीएम (नाबार्ड), जिला दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक/ महाप्रबंधक, जिला मत्स्य संघ के प्रबंध निदेशक और डीसीसीबी के प्रबंध निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

जेडब्ल्यूसी के अध्यक्ष को संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जाएगा। डीडीएम (नाबार्ड)/ प्रबंध निदेशक जिला दुग्ध संघ/ प्रबंध निदेशक जिला मत्स्य संघ क्रमशः एम-पैक्स, एम-डीसीएस और एम-एफसीएस के गठन/सुदृढ़ीकरण से संबंधित मामलों के लिए इस समिति के संयोजक होंगे।

अनुलग्नक II

नियम और उत्तरदायित्व

1. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार:

सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) एनएलसीसी के माध्यम से योजना के समग्र कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार होगा। एनएलसीसी की भूमिका इस प्रकार होगी:

- **योजना का समग्र कार्यान्वयन**, जिसमें इसकी निगरानी और समीक्षा भी शामिल हैं।
- **संबंधित हितधारकों के साथ समन्वयन** – योजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी राज्य-विशिष्ट मुद्दे के समाधान हेतु कार्य करना।

2. राज्य सरकार:

अनुलग्नक-III के अनुसार राज्य सरकार के लक्ष्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों और समयसीमा के अनुसार योजना की समग्र उपलब्धि के लिए जिम्मेदार होगी, जो निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

i. **निगरानी और समीक्षा –** नियमित आधार पर नई एम-पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना।

ii. **निर्देश जारी करना –** कार्य योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए डीसीडीसी को संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) गठित करने हेतु निर्देश जारी करना।

iii. **नई समितियों का गठन –** डीसीडीसी, जेडब्ल्यूसी और अन्य हितधारकों के समन्वय से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 25,000 शेष नई एम-पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य पूरा किया जाना।

iv. **सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना –** डीसीडीसी, कार्यान्वयन एजेंसियों (नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी), जेडब्ल्यूसी, आदि को आवश्यक सहायता प्रदान करना, उन्हें उपयुक्त निर्देश जारी करना, तथा लक्ष्यों और समयसीमा के अनुसार योजना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु राज्य-विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना।

v. **त्रिस्तरीय संघीय सहकारी संरचना सुनिश्चित करना –** राज्य में बहुउद्देशीय पैक्स, प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को उनके संबंधित जिला और राज्य स्तरीय महासंघों के साथ जोड़कर इस योजना को क्रियान्वित किया जाना।

vi. **एसओपी तैयार करना –** निष्क्रिय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों के परिसमापन हेतु एसओपी तैयार करना ।

vii. **युक्तिकरण – लक्ष्यों का पुनर्वितरण –** आवश्यकतानुसार, राज्य/संघ राज्य क्षत्रों के समग्र लक्ष्यों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्यों का पुनर्वितरण करना।

viii. **उपनियमों में उपयुक्त संशोधन/ परिवर्तन –** डीसीडीसी की अनुशंसा के अनुसार एम-पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों के सशक्तिकरण हेतु उनके उपनियमों में उपयुक्त संशोधन करना तथा आवश्यकतानुसार, मार्गदर्शिका में राज्य-विशिष्ट परिवर्तन करना।

3. नाबार्ड

लक्ष्य (तालिका-1 के अनुसार): 5 वर्षों में लगभग 70,000 नए एम-पैक्स का गठन [चरण – I (2024-25 से 2025-26): 22,752 और चरण – II (2026-27 से 2028-29): 47,248]

i. **जेडब्ल्यूसी की बैठकें आयोजित करना –** जेडब्ल्यूसी की बैठक में एम-पैक्स के गठन हेतु आवश्यक इनपुट/ सहायता प्रदान करना, तथा अंतिम कार्ययोजना को डीसीडीसी के समक्ष नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए रखा जाना।

ii. **जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन –** जिसमें सभी हितधारकों का संवेदीकरण हो सके ।

iii. **मानचित्रण और पहचान –** डीसीसीबी/एसटीसीबी, नाबार्ड जिला विकास प्रबंधकों, आदि के समन्वय से अनाच्छादित/अल्पसेवित ग्राम पंचायतों/गांवों और निष्क्रिय पैक्स की पहचान करना तथा डीसीडीसी और जेडब्ल्यूसी के सहयोग से निष्क्रिय पैक्स का समय पर परिसमापन सुनिश्चित करना।

iv. **राज्य और जिलावार वार्षिक और मासिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाना –** राज्य सरकार, एसटीसीबी, डीसीसीबी, जेडब्ल्यूसी, सहकारिता मंत्रालय, आदि के समन्वय से देश भर में नए एम-पैक्स के गठन हेतु राज्य और जिलावार वार्षिक और मासिक कार्य योजना का निर्माण करना।

v. **एकत्रीकरण –** कार्ययोजना के अनुसार नए एम-पैक्स का गठन हेतु किसानों का एकत्रीकरण किया जाना।

vi. **निदेशक मंडल (बीओडी) के गठन** तथा पैक्स के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।

vii. **एम-पैक्स का पंजीकरण** तथा लक्ष्य एवं निर्धारित समयसीमा के अनुसार, डीसीसीबी/एसटीसीबी के साथ उनको जोड़ा जाना सुनिश्चित करना।

viii. **नवगठित एम-पैक्स द्वारा आदर्श उपनियमों** को अपनाना सुनिश्चित करना।

ix. एम-पैक्स के लिए एक **प्रभावी व्यवसाय विकास योजना** (बीडीपी)/सहकार से समृद्धि प्लान तैयार करना।

x. **हैंड होल्डिंग और मार्गदर्शन करना –** एम-पैक्स बीडीपी के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करें सकें इसके लिए मार्गदर्शन करना ।

xi. ऐसे स्थान जहां **जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)** मौजूद नहीं हैं या नए एम-पैक्स के गठन के मद्देनजर उनकी आवश्यकता है, वहाँ इनकी स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाना।

xii. **सशक्त वित्तीय प्रबंधन प्रणाली वाले डीसीसीबी** के माध्यम से बहुउद्देशीय पैक्स के माध्यम से राज्यों की सभी ग्राम पंचायतों की संतृप्ति सुनिश्चित करना।

बहुउद्देशीय पैक्स कार्यालय – देहरादून, स्रोत- सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

4. एनडीडीबी

लक्ष्य (तालिका-2 के अनुसार): 5 वर्षों में (2024-25 से 2028-29 तक) लगभग 1,03,000 एम-डीसीएस का गठन और सुदृढ़ीकरण

i. **सभी हितधारकों के संवेदीकरण हेतु जिला/ क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित** करना तथा उपनियमों में उपयुक्त संशोधन के लिए उनकी समीक्षा करना, ताकि उन्हें बहुउद्देशीय बनाया जा सके।

ii. **मानचित्रण और पहचान** – जिला दुग्ध संघों, राज्य दुग्ध महासंघों, आदि के समन्वय से अनाच्छादित/अल्पसेवित ग्राम पंचायतों/गांवों तथा निष्क्रिय डेयरी सहकारी समितियों का मानचित्रण और पहचान करना तथा डीसीडीसी और जेडब्ल्यूसी के सहयोग से निष्क्रिय डीसीएस का समय पर परिसमापन सुनिश्चित करना।

सहकारी डेयरी सदस्य, स्रोत एनडीडीबी

iii. **सर्वेक्षण** – दुग्ध खरीद सम्बन्धी प्लान को अंतिम रूप देने के लिए जिला दुग्ध संघों के समन्वय से ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण का आयोजन करना।

iv. **दुग्ध संघ की कार्यशालाओं का आयोजन** – राज्य सरकार और अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वय से देश भर में नए एम-डीसीएस के गठन के लिए राज्य और जिला दुग्ध संघ-वार वार्षिक और मासिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना।

v. **कार्ययोजना प्रस्तुत करना - जेडब्ल्यूसी के माध्यम से डीसीडीसी के समक्ष** कार्ययोजना प्रस्तुत करना जिससे इसकी नियमित निगरानी और समीक्षा हो सके।

vi. **पंजीकरण** – लक्ष्य और निर्धारित समयसीमा के अनुसार नए एम-डीसीएस का गठन करना तथा जिला/राज्य दूध संघ/महासंघ के साथ उनको जोड़ा जाना सुनिश्चित करना।

vii. **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण** – एम-डीसीएस के पदाधिकारियों और सदस्यों का प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण करना।

viii. **नवगठित एम-डीसीएस द्वारा आदर्श उपनियमों को अपनाना** सुनिश्चित करना।

ix. **एम-डीसीएस के लिए एक प्रभावी व्यवसाय विकास योजना** (बीडीपी)/सहकार से समृद्धि प्लान तैयार करना।

x. **हैंड होल्डिंग और मार्गदर्शन करना** – एम-डीसीएस बीडीपी के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करें इसके लिए मार्गदर्शन करना ।

xi. **ऐसे स्थान जहां जिला दुग्ध संघों (डीएमयू)** मौजूद नहीं हैं या नए एम-पैक्स के गठन के मद्देनजर उनकी आवश्यकता है, वहाँ इनकी स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाना।

xii. **सशक्त वित्तीय प्रबंधन प्रणाली वाले जिला दुग्ध संघों के माध्यम से** बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से राज्यों की सभी ग्राम पंचायतों को संतृप्त करना।

5. एनएफडीबी

लक्ष्य (तालिका-3 के अनुसार): 5 वर्षों में (2024-25 से 2028-29 तक) लगभग 11,500 मत्स्य सहकारी समितियों का गठन और सुदृढ़ीकरण

सहकारी मत्स्यपालन सदस्य, स्रोत एनएफडीबी

i. **जिला/ क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन –** सभी हितधारकों का संवेदीकरण करना तथा उपयुक्त संशोधनों के लिए उप-नियमों की समीक्षा करना ताकि मत्स्य सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाया जा सके।

ii. **मानचित्रण और पहचान –** जिला मत्स्य महासंघों, राज्य मत्स्य महासंघों, आदि के समन्वय से अनाच्छादित/ अल्पसेवित ग्राम पंचायतों/ गांवों और निष्क्रिय मत्स्य सहकारी समितियों की पहचान करना तथा निष्क्रिय एफसीएस का समय पर परिसमापन सुनिश्चित करना।

iii. **वार्षिक और मासिक कार्य योजना –** राज्य सरकार और अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वय से देश भर में नई मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के लिए राज्य और जिला स्तरीय वार्षिक और मासिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाना ।

iv. **आदर्श उपनियम तैयार करना –** मत्स्य सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाने हेतु आदर्श उपनियम तैयार करना ।

v. **कार्ययोजना प्रस्तुत करना - जेडब्ल्यूसी के माध्यम से डीसीडीसी** के समक्ष कार्ययोजना प्रस्तुत करना ताकि इसकी नियमित निगरानी और समीक्षा हो सके।

vi. **एकत्रीकरण –** कार्ययोजना के अनुसार, नई बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियों के गठन हेतु सदस्यों का एकत्रीकरण करना।

vii. **पंजीकरण –** लक्ष्य और निर्धारित समयसीमा के अनुसार, नई बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना, जिला/राज्य मत्स्य संघों के साथ उनको जोड़ा जाना सुनिश्चित करना और उनके द्वारा आदर्श उपनियमों को अपनाना सुनिश्चित करना।

viii. **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण –** सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण करना।

ix. **एफसीएस के लिए एक प्रभावी व्यवसाय विकास योजना (बीडीपी)/ सहकार से समृद्धि प्लान** तैयार करना, जिसमें उनके सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण शामिल हो सके ।

x. **हैंड होल्डिंग और मार्गदर्शन करना –** बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियाँ बीडीपी के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करें इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करना ।

xi. **ऐसे स्थान जहां जिला मत्स्य संघ मौजूद नहीं है** या जहां नई मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के मद्देनज़र इनकी आवश्यकता है, वहां नए जिला मत्स्य संघ के गठन हेतु आवश्यक कदम उठाना।

xii. **सशक्त वित्तीय प्रबंधन प्रणाली वाले जिला मत्स्य महासंघ के** माध्यम से बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से राज्यों की सभी ग्राम पंचायतों की संतृप्ति सुनिश्चित करना।

6. डीसीडीसी

i. **निगरानी और समीक्षा –** नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी की अंतिम कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना ताकि उन्हें संबंधित लक्ष्यों और निर्धारित समयसीमा के अनुसार सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके।

ii. **जेडब्ल्यूसी को आवश्यक सहायता –** अनाच्छादित/अल्पसेवित ग्राम पंचायतों की पहचान में, तथा परिसमापन के लिए निष्क्रिय सहकारी समितियों के मानचित्रण हेतु जेडब्ल्यूसी को आवश्यक सहायता प्रदान करना ।

iii. **किसानों को संगठित करने**, संबंधित आरसीएस/राज्य अधिकारियों के सहयोग से नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों का **पंजीकरण करने** तथा संबंधित जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के महासंघों के साथ उनका **संपर्क सुनिश्चित** करने में जेडब्ल्यूसी को सहायता प्रदान करना।

iv. **एससीडीसी को कार्य योजना प्रस्तुत करना** तथा कार्यान्वयन प्रगति की मासिक रिपोर्ट उसके समक्ष रखना।

v. आवश्यकता और व्यवहार्यता मूल्यांकन के अनुसार, राज्य सरकार और अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वय से **जिला स्तरीय संघों/डीसीसीबी की स्थापना** करने हेतु (यदि वर्तमान में मौजूद नहीं हैं तो) संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना।

vi. **निष्क्रिय पैक्स/ डेयरी**/ **मत्स्य** सहकारी समितियों के **परिसमापन की प्रगति की निगरानी करना।**

vii. आवश्यकतानुसार, **मार्गदर्शिका में उपयुक्त परिवर्तन की अनुशंसा करना** और नाबार्ड/ एनडीडीबी/ एनएफडीबी द्वारा सुझाए गए पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों के उपनियमों को एससीडीसी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना ।

viii. **नवगठित एम-पैक्स/ एम-डीसीएस/ एम-एफसीएस** के लिए **कार्यालय परिसर व आवश्यक अवसंरचना की** व्यवस्था करना।

7. संयुक्त कार्य समिति / जेडब्ल्यूसी (डीसीडीसी की उप-समिति)

i. संबंधित जिलों में **अनाच्छादित/अल्प-सेवित ग्राम पंचायतों/ गावों तथा निष्क्रिय** पैक्स/डेयरी/मत्स्य **सहकारी समितियों की पहचान करना।**

ii. **निष्क्रिय सहकारी समितियों के समयबद्ध परिसमापन** के लिए आवश्यक कदम उठाना।

iii. अनाच्छादित/ अल्प्सेवित ग्राम पंचायतों/ गांवों में तथा उन क्षेत्रों में जहाँ निष्क्रिय सहकारी समितियां परिसमापन के लिए प्रस्तावित/ परिसमापन के अधीन हैं, **नए एम-पैक्स/एम-डीसीएस/एम-एफसीएस के गठन के लिए कदम** उठाना ।

iv. **कार्य योजना के अनुसार,** चिह्नित ग्राम पंचायतों/ गांवों में नई एम-पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य सहकारी समितियों के **गठन के लिए किसानों को संगठित** करना।

v. **निदेशक मंडल का गठन और इन सहकारी समितियों के पंजीकरण** के लिए **आवश्यक शेयर पूंजी जुटाने में सहायता करना** और कार्य योजनाओं में परिभाषित लक्ष्यों और समयसीमा के अनुसार संबंधित राज्य अधिकारियों के समन्वय से इन **समितियों का पंजीकरण** सुनिश्चित करना।

vi. **एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय विकास योजनाएं (बीडीपी)/ सहकार से समृद्धि प्लान तैयार करना** और उन्हें संचालित करके आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत सुनिश्चित करना।

vii. **डीसीसीबी में इन सहकारी समितियों के बैंक खाते खोलना तथा "*सहकारिता में सहकार*"** को बढ़ावा देने के लिए इन सहकारी समितियों का डीसीसीबी/ एसटीसीबी सहित उनके संबंधित **जिला और राज्य स्तरीय संघों के साथ जोड़ा जाना** सुनिश्चित करना।

viii. नई एम-पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के लिए **जिला कार्य योजना** को डीसीडीसी के समक्ष रखना ताकि **इसकी नियमित निगरानी और समीक्षा** हो सके, तथा कार्यान्वयन की मासिक प्रगति से डीसीडीसी को अवगत कराना।

ix. राज्य सरकार और अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वय से आवश्यकता और व्यवहार्यता मूल्यांकन के अनुसार, **जिला स्तरीय महासंघों/ डीसीसीबी/ आरओ (एसटीसीबी),** यदि वर्तमान में मौजूद नहीं हैं, तो उनकी **स्थापना के लिए डीसीडीसी को प्रस्ताव** प्रस्तुत करना।

एम-पैक्स द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियाँ, स्रोत – सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

अनुलग्नक - III

लक्ष्य - एक नज़र में (राज्यवार, वर्षवार, एजेंसीवार)

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	नाबार्ड		एनडीडीबी					एनएफडीबी					राज्य					कुल
		फेस I	फेस II	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	218	-	-	-	-	-	-	3	6	9	9	42	-	-	-	-	-	287
2.	आंध्र प्रदेश	150	2,000	3,302	1,562	1,487	1,316	1,142	20	40	60	60	20	408	408	408	408	406	13,197
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,988	30	-	-	-	-	-	5	5	8	8	4	-	-	-	-	-	2,048
4.	असम	1,042	-	153	215	246	317	353	30	50	70	60	62	-	-	-	-	-	2,598
5.	बिहार	178	-	2,930	3,454	2,095	1,790	1,485	120	240	360	360	120	-	-	-	-	-	13,132
6.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ	27	3,763	545	885	863	840	818	60	120	180	180	60	301	301	301	301	300	9,845
8.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	गोवा	24	27	8	21	18	16	13	-	5	5	5	5	3	3	3	3	2	161
10.	गुजरात	1,813	150	678	1,565	1,340	1,108	882	30	50	70	70	30	-	-	-	-	-	7,786
11.	हरयाणा	477	-	268	505	431	376	317	5	10	15	35	42	-	-	-	-	-	2,481
12.	हिमाचल प्रदेश	115	499	109	127	102	83	68	2	4	6	6	2	56	56	56	56	54	1,401
13.	जम्मू और कश्मीर	298	973	183	248	232	216	149	5	10	15	15	5	269	269	269	269	265	3,690
14.	झारखंड	1	-	132	166	140	114	98	50	100	150	150	50	-	-	-	-	-	1,151
15.	कर्नाटक	218	-	1,079	1,807	1,564	1,323	1,138	25	50	75	75	25	-	-	-	-	-	7,379
16.	केरल	106	-	117	284	242	201	159	2	4	100	180	177	-	-	-	-	-	1572
17.	लद्दाख	107	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	117

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	नाबार्ड		एनडीडीबी					एनएफडीबी					राज्य					कुल
		फेस I	फेस II	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	
18.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	मध्य प्रदेश	382	6,880	785	1,351	1,280	1,143	1,007	150	300	400	600	50	455	455	455	455	455	16,603
20.	महाराष्ट्र	113	2,704	552	1,417	1,243	1,043	810	80	120	150	150	100	148	148	148	148	144	9,218
21.	मणिपुर	1,291	846	28	32	31	30	29	10	20	100	106	153	75	75	75	75	71	3,047
22.	मेघालय	3,739	932	11	28	32	2	1	10	20	30	30	10	262	262	262	262	261	6,154
23.	मिजोरम	753	0	16	17	17	11	11	10	20	30	30	10	0	0	0	0	0	925
24.	नागालैंड	1,226	-	2	6	6	6	7	10	20	50	50	83	-	-	-	-	-	1,466
25.	ओडिशा	91	-	1,323	1,056	1,108	2,623	1,477	55	110	100	250	35	-	-	-	-	-	8,228
26.	पुदुचेरी	5	18	4	11	9	7	5	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	66
27.	पंजाब	490	2640	720	1,198	1,066	903	771	20	40	60	60	20	238	238	238	238	235	9,175
28.	राजस्थान	317	-	1,770	2,750	2,540	2,340	2,142	10	20	30	50	47	-	-	-	-	-	12,016
29.	सिक्किम	31	-	32	63	52	44	35	2	4	6	6	2	-	-	-	-	-	277
30.	तमिलनाडु	4,862	747	524	1,128	991	854	717	15	25	50	75	85	80	80	80	80	78	10,471
31.	तेलंगाना	140	4193	506	588	516	351	280	50	100	100	200	50	1,042	1,042	1,042	1,042	1,038	12,280
32.	दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	37
33.	त्रिपुरा	741	-	18	24	27	26	24	10	20	30	30	10	-	-	-	-	-	960
34.	उत्तरप्रदेश	442	18144	2,166	3,260	3,106	2,951	2,795	200	400	581	649	170	1,287	1,287	1,287	1,288	1,648	41,661
35.	उत्तराखंड	3	2702	307	448	406	358	294	20	30	40	30	30	374	374	374	374	370	6,534
36.	पश्चिम बंगाल	1,336	-	347	458	441	346	323	40	65	85	120	40	-	-	-	-	-	3,601
	कुल	**22,752**	**47,248**	**18,615**	**24,674**	**21,631**	**20,738**	**17,350**	**1,051**	**2,010**	**2,967**	**3,651**	**1,550**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,327**	**2,09,564**

स्रोत: नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाएं (7-8-2024 तक)

#लक्ष्य एजेंसियों के बीच आंतरिक पुनर्वितरण / युक्तिकरण के अधीन हैं

चित्र 1. फ़्लो चार्ट – नाबार्ड

नये बहुउद्देशीय पैक्स का गठन

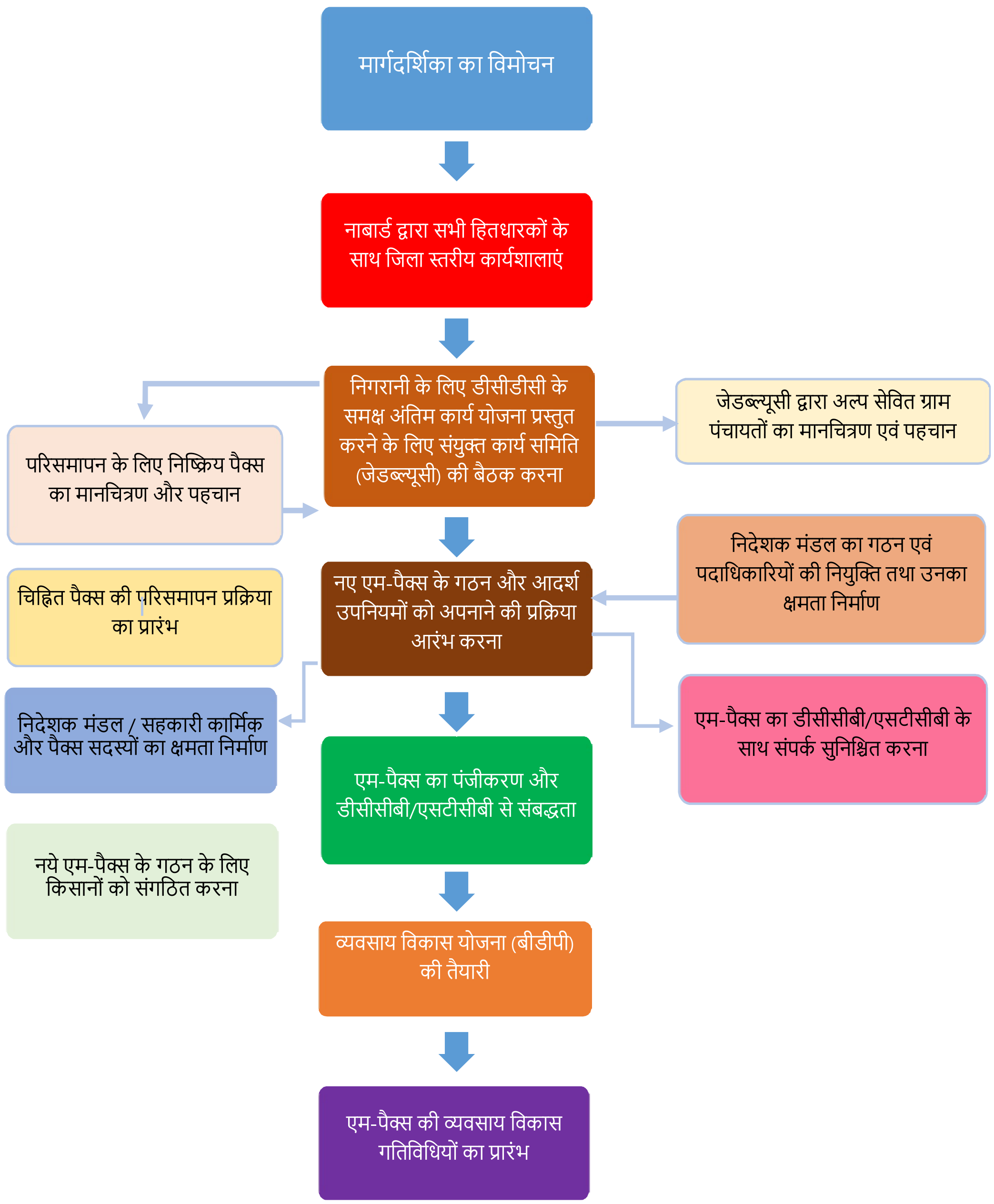

चित्र 2. फ़्लो चार्ट – एनडीडीबी

नई बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों का गठन

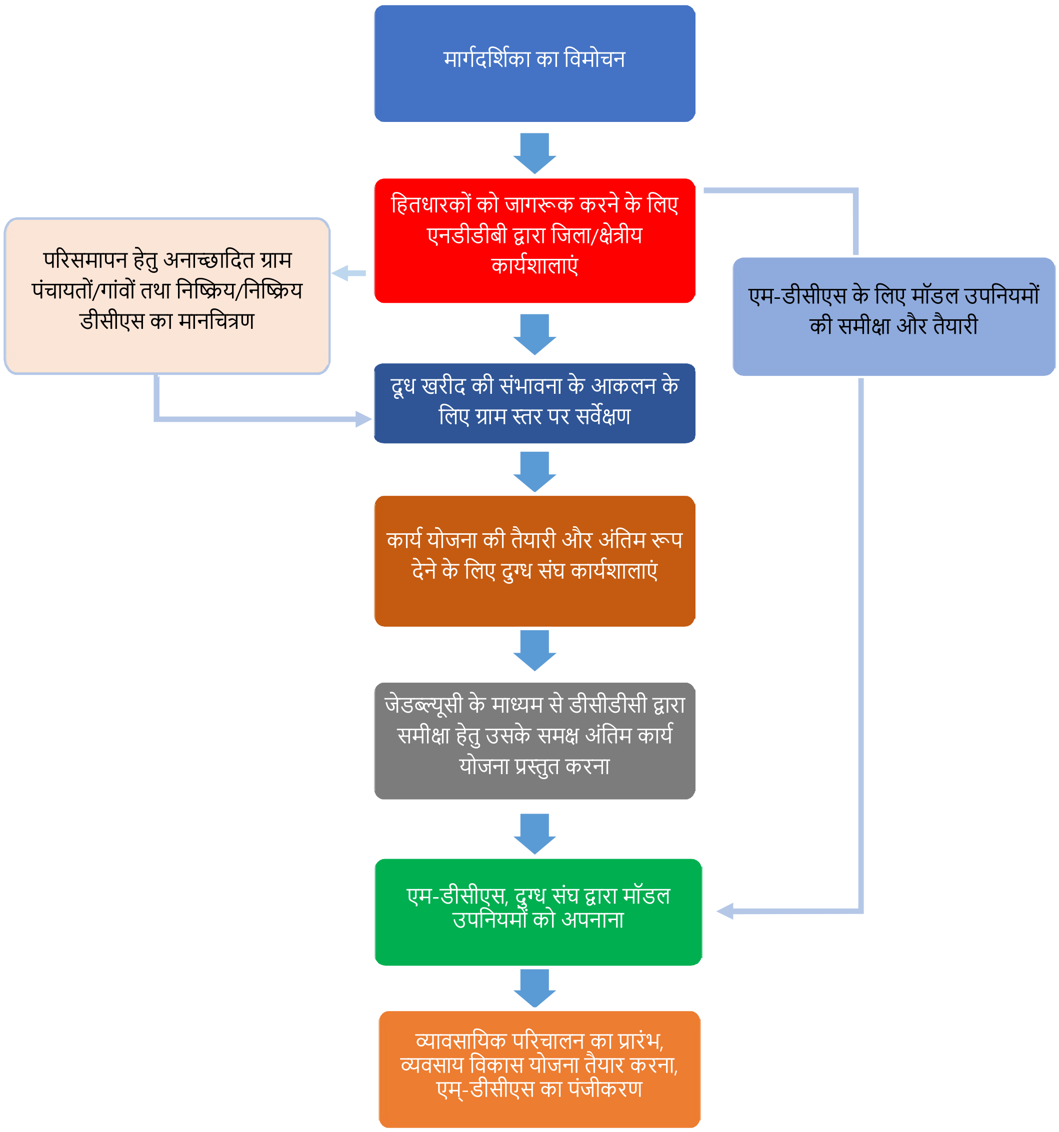

चित्र 3. फ़्लो चार्ट – एनएफडीबी
नई बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियों का गठन

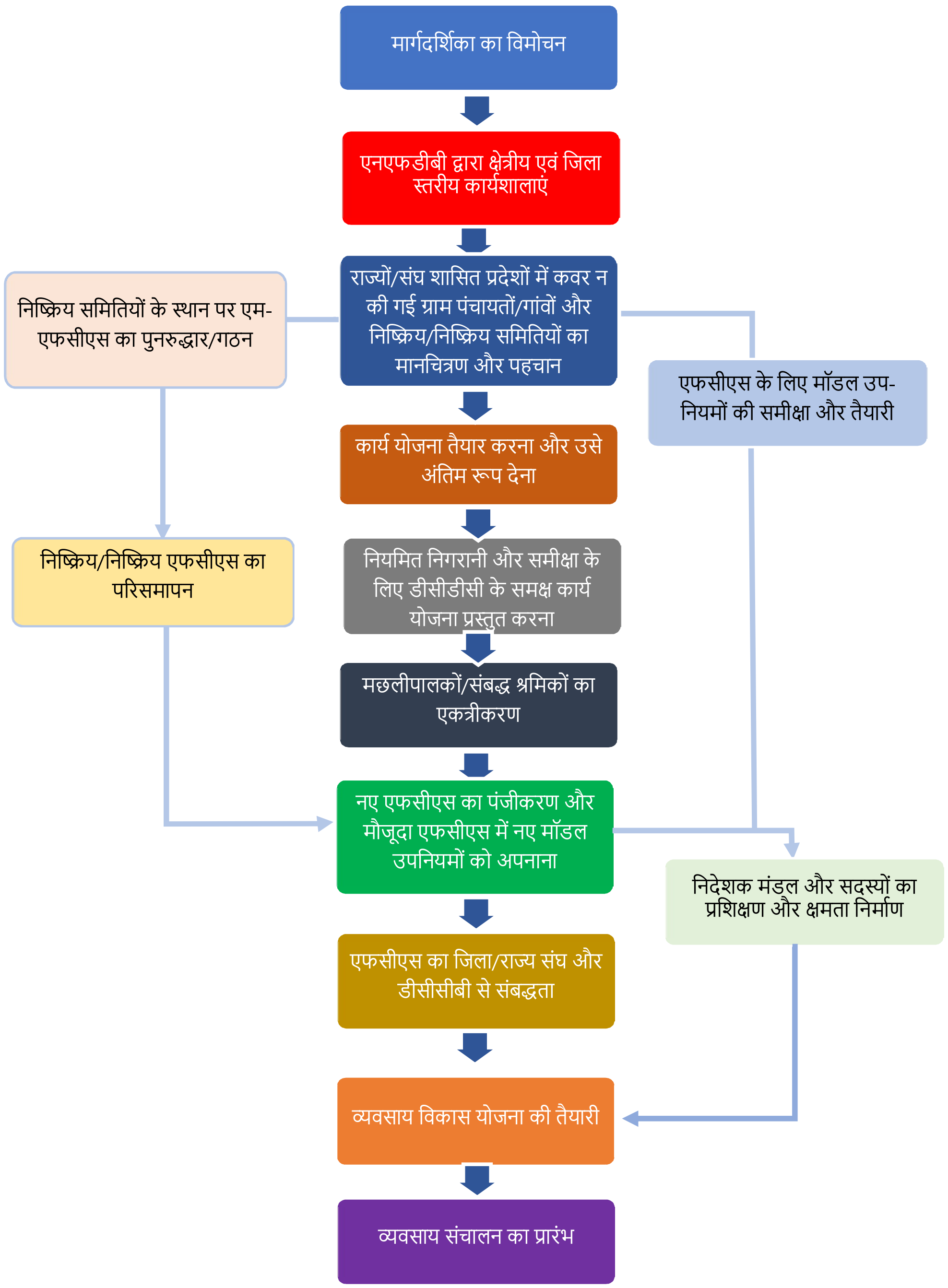

अनुलग्नक – IV

नाबार्ड द्वारा नए एम-पैक्स का गठन

क्रमांक	आयोजन	एजेंसी	अपेक्षित परिणाम	पूरा होने की समय सीमा
1	**मार्गदर्शिका का विमोचन**	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	एसओपी, कार्यान्वयन तंत्र, भूमिकाओं और जिम्मेदारी, लक्ष्यों और समय-सीमा पर हितधारकों का संवेदीकरण करना ।	सितंबर, 2024
2	**अनाच्छादित ग्राम पंचायतों/गांवों और निष्क्रिय पैक्स का मानचित्रण और पहचान**	नाबार्ड, राज्य सहकारिता विभाग	डीसीसीबी/एसटीसीबी, नाबार्ड जिला विकास प्रबंधकों आदि के समन्वय से कवर न की गई/अल्पसेवित ग्राम पंचायतों/गांवों और निष्क्रिय पैक्स का मानचित्रण और पहचान करना और निष्क्रिय पैक्स का समय पर परिसमापन सुनिश्चित करना।	अक्टूबर 2024
3	**प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीसीडीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशालाएं**	नाबार्ड, डीसीडीसी	• चरण-I के लिए चिन्हित लक्ष्य कवर न किए गए) ग्राम पंचायतें, निष्क्रिय पैक्स की सूचना नाबार्ड द्वारा राज्य को दी जानी है • संयुक्त कार्य समिति द्वारा (जेडब्ल्यूसी) परामर्शी ढंग से लक्ष्यों की पहचान की जाएगी।	अक्टूबर 2024
4	**संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) की बैठक का आयोजन**	नाबार्ड एवं राज्य सहकारिता विभाग	• कार्य-योजना के साथ लक्ष्य कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित किए जाएंगे।	नवंबर 2024
5	**निगरानी और समीक्षा के लिए जेडब्ल्यूसी के माध्यम से डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना**	नाबार्ड एवं राज्य सहकारिता विभाग	नए एम-पैक्स के लक्ष्यों को निगरानी और समीक्षा के लिए डीसीडीसी के समक्ष रखा जाएगा।	नवंबर 2024

क्रमांक	आयोजन	एजेंसी	अपेक्षित परिणाम	पूरा होने की समय सीमा
6	**निष्क्रिय पैक्स की परिसमापन प्रक्रिया पूरी करना**	राज्य/ जिला सहकारिता विभाग, डीसीडीसी और एससीडीसी	• राज्य/ जिला सहकारिता विभाग संयुक्त कार्य समिति) जेडब्ल्यूसी (के मार्गदर्शन से **5476 चिन्हित निष्क्रिय पैक्स** के परिसमापन की संपूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से शुरू और पूरा करेगा।	मार्च 2025
7	**नए एम-पैक्स के गठन की प्रक्रिया शुरू करना**	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी	• **कवर न की गई 17,276 ग्राम पंचायतों** में एम पैक्स के गठन की-प्रक्रिया जेडब्ल्यूसी द्वारा पहचान किए जाने के तुरंत बाद शुरू होगी। **विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है।)क्रमांक 7(ए) से 7 (एच) तक)** • परिसमापन प्रक्रिया के पूरा होने पर निष्क्रिय पैक्स के स्थान पर एम-पैक्स का गठन2024-25 के दौरान अस्थायी रूप से शुरू होगा।	नवंबर 2024 से अप्रैल 2025
(i)	**सदस्यों का एकत्रीकरण**	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) / जिला सहकारी विभाग / डीसीसीबी / जीपी	सदस्यों को एकत्रीकरण करने के लिए जिला सहकारिता विभाग/ डीसीसीबी/ जीपी के साथ समन्वय में संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) कार्य करेगी।	नवंबर 2024
(ii)	**उचित व्यक्तियों के निदेशक मंडल का गठन**	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) उपयुक्त निदेशक मंडल की पहचान करने तथा पंजीकरण के लिए आवश्यक शेयर पूंजी जुटाने में सहायता करेगी।	नवंबर 2024

क्रमांक	आयोजन	एजेंसी	अपेक्षित परिणाम	पूरा होने की समय सीमा
(iii)	**सीईओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति**	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) सीईओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए समितियों का मार्गदर्शन करेगी।	दिसंबर 2024
(iv)	**उपनियमों की तैयारी**	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) भारत सरकार के आदर्श उपनियमों की तर्ज पर अनुकूलित उपनियमों की तैयारी के लिए निदेशक मंडल और सदस्यों का मार्गदर्शन करेगी।	दिसंबर 2024
(v)	**एम-पैक्स के स्थान का निर्धारण**	राज्य/ जिला सहकारिता विभाग/ डीसीडीसी	बुनियादी ढांचे के साथ कार्यालय की स्थापना राज्य/ जिला सहकारिता विभाग की सहायता से एम-पैक्स द्वारा की जाएगी।	जनवरी 2025
(vi)	**पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी को दस्तावेज प्रस्तुत करना**	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी	निदेशक मंडल समिति के पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।	जनवरी 2025
(vii)	**एम-पैक्स का पंजीकरण**	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी	जिला सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी, प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के अनुसार	फ़रवरी 2025
(viii)	**डीसीसीबी या एसटीसीबी से संबद्धता**	नाबार्ड राज्य सहकारी बैंक, राज्य एवं जिला सहकारी विभाग के परामर्श पर	नाबार्ड राज्य सहकारी बैंक, राज्य और जिला सहकारिता विभाग के परामर्श से इन एम-पैक्स को डीसीसीबी/एसटीसीबी के साथ संबद्ध करने में सुविधा प्रदान करेगा।	अप्रैल 2025
8	**क्षमता निर्माण - निदेशक मंडल का संवेदीकरण**	नाबार्ड	निदेशक मंडल को विभिन्न सहकारी सिद्धांतों, भारत सरकार/नाबार्ड/अन्य योजनाओं, कर्तव्यों, बैठकों के संचालन, बहीखाता, नेतृत्व कार्यक्रम, टीम निर्माण आदि के बारे में जागरूक किया जाना।	अप्रैल 2025

क्रमांक	आयोजन	एजेंसी	अपेक्षित परिणाम	पूरा होने की समय सीमा
9	**सहकारी कार्मिकों (सीईओ और अन्य पदाधिकारियों) का क्षमता निर्माण**	नाबार्ड	बीडीपी, सरकारी/ नाबार्ड योजनाओं, सदस्यों को दी जाने वाली सेवाओं, प्रौद्योगिकी आदि पर प्रशिक्षण दिया जाना।	अप्रैल 2025
10	**पैक्स सदस्यों का क्षमता निर्माण**	नाबार्ड	व्यावसायिक अवसरों, एम-पैक्स की ऋण/गैर-ऋण सुविधाओं की सेवाओं, सदस्यों के कर्तव्यों और अधिकारों, राज्य सहकारी अधिनियम के प्रावधानों, उपनियमों आदि पर प्रशिक्षण	अप्रैल 2025
11	**सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के अनुरूप पैक्स के लिए व्यवसाय विकास योजना/ (सहकार से समृद्धि योजना) तैयार करना**	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग द्वारा	डीसीसीबी/ पैक्स विकास प्रकोष्ठ/नाबार्ड की संसाधन एजेंसी प्रभावी कार्यान्वयन योग्य व्यवसाय विकास योजना तैयार करने के लिए पैक्स का मार्गदर्शन करेगी।	अप्रैल 2025
12	**व्यावसायिक परिचालन का प्रारंभ**	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से	नये एम-पैक्स व्यवसायिक परिचालन शुरू करेंगे।	अप्रैल 2025 से आगे

स्रोत: नाबार्ड की कार्ययोजना

गैंट चार्ट (1.1): चरण-I कार्य योजना (2024-25) – नाबार्ड

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	सितम्बर-24	अक्टूबर-24	नवम्बर-24	दिसम्बर-24	जनवरी-25	फ़रवरी-25	मार्च-25	अप्रैल-25
1	मार्गदर्शिका का विमोचन	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार								
2	प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीसीडीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशालाएं	नाबार्ड, राज्य सहकारिता विभाग								
3	अनाच्छादित ग्राम पंचायतों/गांवों और निष्क्रिय/निष्क्रिय पैक्स का मानचित्रण और पहचान	नाबार्ड, डीसीडीसी								
4	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) की बैठक का आयोजन	नाबार्ड एवं राज्य सहकारिता विभाग								
5	निगरानी और समीक्षा के लिए जेडब्ल्यूसी के माध्यम से डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना	नाबार्ड एवं राज्य सहकारिता विभाग								
6	निष्क्रिय पैक्स की परिसमापन प्रक्रिया पूरी करना	राज्य/जिला सहकारिता विभाग, डीसीडीसी								
7	एम-पैक्स के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी								
7.i	सदस्यों का एकत्रीकरण	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) / जिला सहकारी विभाग / डीसीसीबी / जीपी								
7.ii	उचित व्यक्तियों के निदेशक मंडल का गठन	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)								
7.iii	सीईओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)								
7.iv	उपनियमों की तैयारी	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)								
7.v	एम-पैक्स के स्थान का निर्धारण	राज्य/जिला सहकारिता विभाग								
7.vi	पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी को दस्तावेज प्रस्तुत करना	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी								
7.vii	एम-पैक्स का पंजीकरण	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी								
7.viii	डीसीसीबी या एसटीसीबी से संबद्धता	नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, राज्य एवं जिला सहकारी विभाग के परामर्श से								
8	क्षमता निर्माण - निदेशक मंडल का संवेदीकरण	नाबार्ड								
9	सहकारी कार्मिकों (सीईओ और अन्य पदाधिकारियों) का क्षमता निर्माण	नाबार्ड								
10	पैक्स सदस्यों का क्षमता निर्माण	नाबार्ड								
11	सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के अनुरूप पैक्स के लिए व्यवसाय विकास योजना/(सहकार से समृद्धि योजना) तैयार करना	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से								
12	व्यावसायिक परिचालन का प्रारंभ	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से								

गैंट चार्ट (1.2): चरण-I कार्य योजना (परिसमाप्त के स्थान पर) (2024-25) – नाबार्ड

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	फ़रवरी-24	मार्च-24	अप्रैल-24	मई-24	जून 25	जुलाई-25	अगस्त-25
1	अनाच्छादित ग्राम पंचायतों/गांवों और निष्क्रिय/निष्क्रिय पैक्स का मानचित्रण और पहचान	नाबार्ड, डीसीडीसी							
2	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) की बैठक का आयोजन	नाबार्ड एवं राज्य सहकारिता विभाग							
3	निगरानी और समीक्षा के लिए जेडब्ल्यूसी के माध्यम से डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना	नाबार्ड एवं राज्य सहकारिता विभाग							
4	निष्क्रिय पैक्स की परिसमापन प्रक्रिया पूरी करना	राज्य/जिला सहकारिता विभाग, डीसीडीसी							
5	एम-पैक्स के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी							
5.i	सदस्यों का एकत्रीकरण	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) / जिला सहकारी विभाग / डीसीसीबी / जीपी							
5.ii	उचित व्यक्तियों के निदेशक मंडल का गठन	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)							
5.iii	सीईओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)							
5.iv	उपनियमों की तैयारी	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)							
5.v	एम-पैक्स के स्थान का निर्धारण	राज्य/जिला सहकारिता विभाग							
5.vi	पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी को दस्तावेज प्रस्तुत करना।	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी							
5.vii	एम-पैक्स का पंजीकरण	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी							
5.viii	डीसीसीबी या एसटीसीबी से संबद्धता	नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, राज्य एवं जिला सहकारी विभाग के परामर्श से							
6	क्षमता निर्माण - निदेशक मंडल का संवेदीकरण	नाबार्ड							
7	सहकारी कार्मिकों (सीईओ और अन्य पदाधिकारियों) का क्षमता निर्माण	नाबार्ड							
8	पैक्स सदस्यों का क्षमता निर्माण	नाबार्ड							
9	सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के अनुरूप पैक्स के लिए व्यवसाय विकास योजना/(सहकार से समृद्धि योजना) तैयार करना	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से							
10	व्यावसायिक परिचालन का प्रारंभ	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से							

गैंट चार्ट (1.3): चरण-I कार्य योजना (2025-26) – नाबार्ड

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	अप्रैल-25	मई-25	जून 25	जुलाई-25	अगस्त-25	सितम्बर	अक्टूबर-	नवंबर-25	दिसम्बर-	जनवरी-	फ़रवरी-	मार्च-26
1	एम-पैक्स के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.i	सदस्यों का एकत्रीकरण	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) / जिला सहकारी विभाग / डीसीसीबी / जीपी												
1.ii	निदेशक मंडल का गठन	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.iii	सीईओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.iv	उपनियमों की तैयारी	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.v	एम-पैक्स के स्थान का निर्धारण	राज्य/जिला सहकारिता विभाग												
1.vi	पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी को दस्तावेज प्रस्तुत करना	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.vii	एम-पैक्स का पंजीकरण	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.viii	डीसीसीबी या एसटीसीबी से संबद्धता	नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, राज्य एवं जिला सहकारी विभाग के परामर्श से												
2	क्षमता निर्माण - निदेशक मंडल का संवेदीकरण	नाबार्ड												
3	सहकारी कार्मिकों की क्षमता निर्माण	नाबार्ड												
4	पैक्स सदस्यों का क्षमता निर्माण	नाबार्ड												
5	सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के अनुरूप पैक्स के लिए व्यवसाय विकास योजना/(सहकार से समृद्धि योजना) तैयार करना	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से												
6	व्यावसायिक परिचालन का प्रारंभ	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से												

गैंट चार्ट (1.4): चरण-II कार्य योजना (2026-27) – नाबार्ड

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	अप्रैल-26	मई-26	जून 26	जुलाई-26	अगस्त-26	सितम्बर-26	अक्टूबर-26	नवंबर-26	दिसम्बर-26	जनवरी-27	फ़रवरी-27	मार्च-27
1	एम-पैक्स के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.i	सदस्यों का एकत्रीकरण	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) / जिला सहकारी विभाग / डीसीसीबी / जीपी												
1.ii	निदेशक मंडल का गठन	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.iii	सीईओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.iv	उपनियमों की तैयारी	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.v	एम-पैक्स के स्थान का निर्धारण	राज्य/जिला सहकारिता विभाग												
1.vi	पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी को दस्तावेज प्रस्तुत करना।	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.vii	एम-पैक्स का पंजीकरण	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.viii	डीसीसीबी या एसटीसीबी से संबद्धता	नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, राज्य एवं जिला सहकारी विभाग के परामर्श से												
2	क्षमता निर्माण - निदेशक मंडल का संवेदीकरण	नाबार्ड												
3	सहकारी कार्मिकों की क्षमता निर्माण	नाबार्ड												
4	पैक्स सदस्यों का क्षमता निर्माण	नाबार्ड												
5	सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के अनुरूप पैक्स के लिए व्यवसाय विकास योजना/(सहकार से समृद्धि योजना) तैयार करना	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से												
6	व्यावसायिक परिचालन का प्रारंभ	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से												

गैंट चार्ट (1.5): चरण-II कार्य योजना (2027-28) – नाबार्ड

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	अप्रैल-27	मई-27	जून-27	जुलाई-27	अगस्त-27	सितम्बर-27	अक्टूबर-27	नवम्बर-27	दिसम्बर-27	जनवरी-28	फ़रवरी-28	मार्च-28
1	एम-पैक्स के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.i	सदस्यों को संगठित करना	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) / जिला सहकारी विभाग / डीसीसीबी / ग्राम पंचायत												
1.ii	निदेशक मंडल का गठन	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.iii	सी.ई.ओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.iv	मॉडल उपनियमों को तैयार करना	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.v	एम-पैक्स स्थान का निर्धारण	राज्य/जिला सहकारिता विभाग												
1.vi	पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी को दस्तावेज प्रस्तुत करना।	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.vii	एम-पैक्स का पंजीकरण	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.viii	डीसीसीबी या एसटीसीबी से संबद्धता	नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, राज्य एवं जिला सहकारी विभाग के परामर्श से												
2	क्षमता निर्माण - निदेशक मंडल का संवेदीकरण	नाबार्ड												
3	सहकारी कार्मिकों की क्षमता निर्माण	नाबार्ड												
4	पैक्स सदस्यों का क्षमता निर्माण	नाबार्ड												
5	सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के अनुरूप पैक्स के लिए व्यवसाय विकास योजना/(सहकार से समृद्धि प्लान) तैयार करना	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से												
6	व्यावसायिक परिचालन का प्रारंभ	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से												

गैंट चार्ट (1.6): चरण-II कार्य योजना (2028-29) – नाबार्ड

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	अप्रैल-28	मई-28	जून-28	जुलाई-28	अगस्त-28	सितम्बर-28	अक्टूबर-28	नवम्बर-28	दिसम्बर-28	जनवरी-29	फ़रवरी-29	मार्च-29
1	एम-पैक्स के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.i	सदस्यों को संगठित करना	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) / जिला सहकारी विभाग / डीसीसीबी / ग्राम पंचायत												
1.ii	निदेशक मंडल का गठन	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.iii	सी. ई.ओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.iv	मॉडल उपनियम तैयार करना	संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)												
1.v	एम-पैक्स के स्थान का निर्धारण	राज्य/जिला सहकारिता विभाग												
1.vi	पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्राधिकारी को दस्तावेज प्रस्तुत करना।	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.vii	एम-पैक्स का पंजीकरण	जिला / राज्य सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी												
1.viii	डीसीसीबी या एसटीसीबी से संबद्धता	नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, राज्य एवं जिला सहकारी विभाग के परामर्श से												
2	क्षमता निर्माण - निदेशक मंडल का संवेदीकरण	नाबार्ड												
3	सहकारी कार्मिकों की क्षमता निर्माण	नाबार्ड												
4	पैक्स सदस्यों का क्षमता निर्माण	नाबार्ड												
5	सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के अनुरूप पैक्स के लिए व्यवसाय विकास योजना/(सहकार से समृद्धि योजना) तैयार करना	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से												
6	व्यावसायिक परिचालन का प्रारंभ	नाबार्ड, पैक्स के निदेशक मंडल के सहयोग से												

तालिका 1. नाबार्ड लक्ष्य (राज्यवार, वर्षवार, चरणवार)

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	कुल ग्राम पंचायत (संख्या)	मौजूदा पैक्स (संख्या)	अनाच्छादित ग्राम पंचायतों में नए एम-पैक्स	निष्क्रिय पैक्स के स्थान पर नए एम-पैक्स (परिसमापन के बाद)	चरण-I का उप-योग	अल्प-सेवित ग्राम पंचायतों में नए एम-पैक्स (संख्या)	कुल (चरण – I और II)
				चरण-I	चरण-I		चरण-II	
1	अंडमान व निकोबार	264	47	218	-	218	-	218
2	आंध्र प्रदेश	13,326	2,046	130	20	150	2,000	2,150
3	अरुणाचल प्रदेश	2,108	35	1,985	3	1,988	30	2,018
4	असम	2,662	1,834	12	1,030	1,042	-	1,042
5	बिहार	8,054	8,496	24	154	178	-	178
6	छत्तीसगढ़	11,650	2,059	13	14	27	3,763	3,790
7	गोवा	191	103	-	24	24	27	51
8	गुजरात	14,619	10,590	1,037	776	1,813	150	1,963
9	हरियाणा	6,225	785	477	-	477	-	477
10	हिमाचल प्रदेश	3,615	2,217	9	106	115	499	614
11	जम्मू और कश्मीर	4,291	648	168	130	298	973	1,271
12	झारखंड	4,345	4,458	-	1	1	-	1
१३	कर्नाटक	5,953	6,139	45	173	218	-	218
14	केरल	941	1,680	48	58	106	-	106
15	लद्दाख	193	159	61	46	107	-	107
16	मध्य प्रदेश	23,011	4,554	339	43	382	6,880	7,262
17	महाराष्ट्र	27,909	21,059	7	106	113	2,704	2,817
18	मणिपुर	3,812	273	1,272	19	1,291	846	2,137
19	मेघालय	6,814	677	3,676	63	3,739	932	4,671
20	मिजोरम	842	94	750	3	753	-	753
21	नगालैंड	1,298	1,344	694	532	1,226	-	1,226
22	ओडिशा	6,794	4,238	12	79	91	-	91
23	पुदुचेरी	108	59	2	3	5	18	23
24	पंजाब	13,241	3,975	41	449	490	2,640	3,130
25	राजस्थान	11,207	7,935	20	297	317	-	317
26	सिक्किम	199	193	9	22	31	-	31
27	तमिलनाडु	12,525	4,511	4,858	4	4,862	747	5,609
28	तेलंगाना	12,769	955	108	32	140	4,193	4,333
29	दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव	38	16	24	4	28	-	28
30	त्रिपुरा	1,176	269	741	-	741	-	741
31	उत्तर प्रदेश	57,702	7,578	-	442	442	18,144	18,586
32	उत्तराखंड	7,795	672	1	2	3	2,702	2,705
33	पश्चिम बंगाल	3,339	5,694	495	841	1,336	-	1,336
	कुल	**2,69,016**	**1,05,392**	**17,276**	**5,476**	**22,752**	**47,248**	**70,000**

स्रोत: नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना

तालिका 1.1 नाबार्ड – नए एम-पैक्स का गठन (वार्षिक लक्ष्य)

चरण 1	वित्त वर्ष 2024-25	5,704	**22,752**
	वित्त वर्ष 2025-26	17,048	
चरण II	वित्त वर्ष 2026-27	18,890	**47,248**
	वित्त वर्ष 2027-28	18,890	
	वित्त वर्ष 2028-29	9,468	

स्रोत: नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना

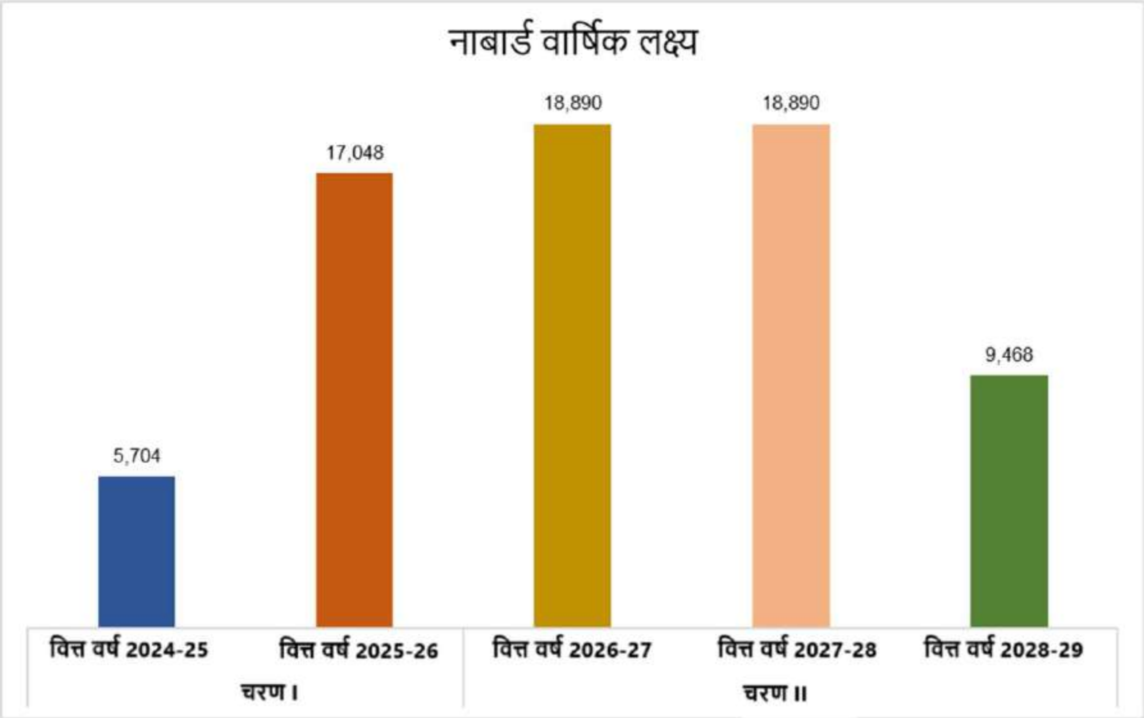

स्रोत: नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना

आरेखण प्रस्तुति

अनुलग्नक - V

एनडीडीबी द्वारा नए एम-डीसीएस का गठन

क्र.सं.	आयोजन	एजेंसी	अपेक्षित परिणाम	पूरा होने की समयसीमा
1	**मार्गदर्शिका का विमोचन**	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	एसओपी, कार्यान्वयन तंत्र, भूमिका और जिम्मेदारी, लक्ष्य और समयसीमा पर हितधारकों का संवेदीकरण	**सितंबर 2024**
2	**एम-डीसीएस के लिए मॉडल उप-नियमों की समीक्षा एवं तैयारी**	एनडीडीबी	**एम-डीसीएस के लिए मॉडल उपनियम** • सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार , एनडीडीबी और राज्य सहकारिता विभाग भारत सरकार के मॉडल उप-नियमों की तर्ज पर एम-डीसीएस के लिए उप-नियमों का विश्लेषण और अनुकूलन करना।	**अक्टूबर 2024**
3	**नाबार्ड/एनडीडीबी द्वारा क्षेत्रीय/जिला कार्यशालाएं**	एनडीडीबी, नाबार्ड और दुग्ध संघ	**हितधारक बैठक** • एनडीडीबी नाबार्ड के साथ समन्वय करके हितधारकों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन करेगा जो एम-डीसीएस (बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों) के गठन के लिए सहकारी उप-नियमों में संशोधन, पंजीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण पर केंद्रित होगा		**अक्टूबर 2024**
4.	**हितधारकों के साथ राज्य स्तरीय संवेदीकरण बैठकें**	एनडीडीबी, राज्य महासंघ, दूध संघ और डीएएचडी	• एनडीडीबी एम-डीसीएस के गठन के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन करेगी, जिसमें जिला स्तरीय दूध संघ भाग लेंगे। • राज्य में एम-डीसीएस के गठन के लिए मौजूदा उपनियमों में आवश्यक	**दिसंबर 2024**

			परिवर्तनों पर विचार-विमर्श किया जाना।	
5	**दूध प्राप्ति के लिए ग्राम स्तर पर संभावित आकलन**	एनडीडीबी, दुग्ध संघ	**गांवों और उनकी क्षमता की पहचान** • परिसमापन हेतु अनाच्छादित/अल्पसेवित ग्राम पंचायतों तथा निष्क्रिय डेयरी सहकारी समितियों की पहचान करना। • उन गांवों की पहचान और सूची तैयार करना जहां नए एमडीसीएस का गठन किया जाना है। • चिन्हित गांवों में दूध खरीद की क्षमता का विश्लेषण।	**जनवरी 2025**
6	**कार्य योजना की तैयारी**	एनडीडीबी/दूध संघ	• राज्य और जिला स्तरीय कार्य योजना की तैयारी और अंतिम रूप देने में दुग्ध संघ को सहायता प्रदान करना।	**जनवरी 2025**
7	**डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना**	एनडीडीबी	• जेडब्ल्यूसी के माध्यम से डीसीडीसी के समक्ष निगरानी और समीक्षा के लिए अंतिम कार्य योजना प्रस्तुत करना।	**फ़रवरी 2025**
8	**एम-डीसीएस के लिए मॉडल उपनियमों को अपनाना**	जिला सहकारी विभाग/राज्य संघ का सक्षम प्राधिकारी	• एम-डीसीएस, दुग्ध यूनियन/संघ द्वारा मॉडल उपनियमों को अपनाना।	**मार्च 2025**
9	**व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (दूध खरीद और फॉरवर्ड लिंकेज) की शुरुआत, एम-डीसीएस का पंजीकरण**	एनडीडीबी, दुग्ध संघ	• एम-डीसीएस द्वारा व्यवसाय संचालन आरंभ करना तथा उसका पंजीकरण। • व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि प्लान) तैयार करना। • एम-डीसीएस द्वारा व्यवसाय विकास योजना के अनुसार विभिन्न सेवाएं प्रदान करना।	**मार्च 2025**

10	**क्षमता निर्माण - दुग्ध संघ / निदेशक मंडल का संवेदीकरण**	एनडीडीबी	दुग्ध संघों को एम-डीसीएस द्वारा की जा सकने वाली संभावित अतिरिक्त गतिविधियों, इसके लाभों और ऐसा करने के तौर-तरीकों के बारे में जागरूक किया जाएगा।	**निरंतर**
11	**एम-डीसीएस प्रबंधन समिति, सचिव, सदस्यों का क्षमता निर्माण**	एनडीडीबी	दूध खरीद पर प्रशिक्षण। बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी), फीड, चारा, पशु चिकित्सा सेवाएं, राज्य सहकारी अधिनियम, उपनियम आदि प्रदान किए जाएंगे।	**निरंतर**
स्रोत: एनडीडीबी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना				

गैंट चार्ट (2.1): कार्य योजना (वित्त वर्ष 2024-25) – एनडीडीबी

क्रम सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	सितम्बर-24	अक्टूबर-24	नवम्बर-24	दिसम्बर-24	जनवरी-25	फ़रवरी-25	मार्च-25	अप्रैल-25	मई-25	जून 25	जुलाई-25	अगस्त-25
1	मार्गदर्शिका का विमोचन	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार												
2	एम-डीसीएस के लिए मॉडल उप-नियमों की समीक्षा एवं तैयारी	एनडीडीबी												
3	एनडीडीबी द्वारा क्षेत्रीय/जिला कार्यशालाएं	एनडीडीबी, नाबार्ड और दुग्ध संघ												
4	हितधारकों के साथ राज्य स्तरीय संवेदनशीलता बैठकें	डीएएचडी, एनडीडीबी, राज्य महासंघ, दूध संघ												
5	दूध प्राप्ति के लिए ग्राम स्तर पर संभावित आकलन	एनडीडीबी, दुग्ध संघ												
6	कार्य योजना तैयार करना	एनडीडीबी/दूध संघ												
7	डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना	एनडीडीबी												
8	एम-डीसीएस के लिए मॉडल उपनियमों को अपनाना	जिला सहकारी विभाग/राज्य संघ का सक्षम प्राधिकारी												
9	व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि प्लान) के साथ व्यवसाय संचालन (दूध खरीद और फॉरवर्ड लिंकेज) की शुरुआत	एनडीडीबी, दुग्ध संघ												
10	क्षमता निर्माण - दुग्ध संघ / निदेशक मंडल का संवेदीकरण	एनडीडीबी												
11	एम-डीसीएस प्रबंधन समिति, सचिव, सदस्यों का क्षमता निर्माण	एनडीडीबी												

गैंट चार्ट (2.2): कार्य योजना (वित्त वर्ष 2025-26) – एनडीडीबी

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	अप्रैल-25	मई-25	जून 25	जुलाई-25	अगस्त-25	सितम्बर 25	अक्टूबर-25	नवंबर-25	दिसम्बर-25	जनवरी-26	फ़रवरी-26	मार्च-26
1	डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना	एनडीडीबी												
2	नए एम-डीसीएस के मॉडल उपनियमों को अपनाना	जिला सहकारी विभाग/राज्य संघ का सक्षम प्राधिकारी												
3	व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (दूध खरीद और फॉरवर्ड लिंकेज) की शुरुआत तथा एम-डीसीएस का पंजीकरण	एनडीडीबी, दुग्ध संघ												
4	क्षमता निर्माण - दुग्ध संघ / निर्देशक मंडल का संवेदीकरण	एनडीडीबी												
5	एम-डीसीएस प्रबंधन समिति, सचिव, सदस्यों का क्षमता निर्माण	एनडीडीबी												

गैंट चार्ट (2.3): कार्य योजना (वित्त वर्ष 2026-27) – एनडीडीबी

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	अप्रैल-26	मई-26	जून 26	जुलाई-26	अगस्त-26	सितम्बर-26	अक्टूबर-26	नवंबर-26	दिसम्बर-26	जनवरी-27	फ़रवरी-27	मार्च-27
1	डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना	एनडीडीबी												
2	नए एम-डीसीएस के मॉडल उपनियमों को अपनाना	जिला सहकारी विभाग/राज्य संघ का सक्षम प्राधिकारी												
3	व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (दूध खरीद और फॉरवर्ड लिंकेज) की शुरुआत तथा एम-डीसीएस का पंजीकरण	एनडीडीबी, दुग्ध संघ												
4	क्षमता निर्माण - दुग्ध संघ / निर्देशक मंडल का संवेदीकरण	एनडीडीबी												
5	एम-डीसीएस प्रबंधन समिति, सचिव, सदस्यों का क्षमता निर्माण	एनडीडीबी												

गैंट चार्ट (2.4): कार्य योजना (वित्त वर्ष 2027-28) – एनडीडीबी

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	अप्रैल-27	मई-27	जून-27	जुलाई-27	अगस्त-27	सितम्बर-27	अक्टूबर-27	नवम्बर-27	दिसम्बर-27	जनवरी-28	फ़रवरी-28	मार्च-28
1	**डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना**	एनडीडीबी												
2	**नए एम-डीसीएस के मॉडल उपनियमों को अपनाना**	जिला सहकारी विभाग/राज्य संघ का सक्षम प्राधिकारी												
3	**व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (दूध खरीद और फॉरवर्ड लिंकेज) की शुरुआत तथा एम-डीसीएस का पंजीकरण**	एनडीडीबी, दुग्ध संघ												
4	**क्षमता निर्माण - दुग्ध संघ / निर्देशक मंडल का संवेदीकरण**	एनडीडीबी												
5	**एम-डीसीएस प्रबंधन समिति, सचिव, सदस्यों का क्षमता निर्माण**	एनडीडीबी												

गैंट चार्ट (2.5): कार्य योजना (वित्त वर्ष 2028-29) – एनडीडीबी

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	अप्रैल-28	मई-28	जून-28	जुलाई-28	अगस्त-28	सितम्बर-28	अक्टूबर-28	नवम्बर-28	दिसम्बर-28	जनवरी-29	फ़रवरी-29	मार्च-29
1	डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना	एनडीडीबी												
2	नए एम-डीसीएस के मॉडल उपनियमों को अपनाना	जिला सहकारी विभाग/राज्य संघ का सक्षम प्राधिकारी												
3	व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (दूध खरीद और फॉरवर्ड लिंकेज) की शुरुआत तथा एम-डीसीएस का पंजीकरण	एनडीडीबी, दुग्ध संघ												
4	क्षमता निर्माण - दुग्ध संघ / निर्देशक मंडल का संवेदीकरण	एनडीडीबी												
5	एम-डीसीएस प्रबंधन समिति, सचिव, सदस्यों का क्षमता निर्माण	एनडीडीबी												

तालिका 2. एनडीडीबी लक्ष्य (राज्यवार, वर्षवार)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	गांवों की कुल संख्या	मौजूदा कार्यात्मक डीसीएस	2024-25		2025-26		2026-27		2027-28		2028-29		कुल
				नई डीसीएस	डीसीएस सशक्त	नया डीसीएस	डीसीएस सशक्त	नया डीसीएस	डीसीएस सशक्त	नई डीसीएस	डीसीएस सशक्त	नई डीसीएस	डीसीएस सशक्त	
1	आंध्र प्रदेश	17,950	7,820	3,091	211	930	632	960	527	895	421	826	316	**8,809**
2	असम	27,959	551	135	18	160	55	200	46	280	37	325	28	**1,284**
3	बिहार	45,410	21,903	2,320	610	1,624	1,830	570	1,525	570	1,220	570	915	**11,754**
4	छत्तीसगढ़	20,634	650	500	45	750	135	750	113	750	90	750	68	**3,951**
5	गोवा	429	174	2	6	3	18	3	15	4	12	4	9	**76**
6	गुजरात	19,040	20,173	238	440	245	1,320	240	1,100	228	880	222	660	**5,573**
7	हरियाणा	7,602	3,557	149	119	149	356	134	297	139	237	139	178	**1,897**
8	हिमाचल प्रदेश	21,254	567	90	19	70	57	55	47	45	38	40	28	**489**
9	जम्मू और कश्मीर	6,857	983	150	33	150	98	150	82	150	66	100	49	**1,028**
10	झारखंड	32,737	965	100	32	70	96	60	80	50	64	50	48	**650**
11	कर्नाटक	30,715	15,546	669	410	577	1,230	539	1,025	503	820	523	615	**6,911**
12	केरल	1,666	3,098	34	83	34	250	34	208	34	167	34	125	**1,003**
13	मध्य प्रदेश	55,891	8,193	512	273	532	819	597	683	597	546	597	410	**5,566**

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	गांवों की कुल संख्या	मौजूदा कार्यात्मक डीसीएस	2024-25 2025-26		2025-26		2027-28		2027-28		2028-29		कुल
				नई डीसीएस	डीसीएस सशक्त	नया डीसीएस	डीसीएस सशक्त	नया डीसीएस	डीसीएस सशक्त	नई डीसीएस	डीसीएस सशक्त	नई डीसीएस	डीसीएस सशक्त	
14	महाराष्ट्र	44,532	12,559	133	419	161	1,256	196	1,047	206	837	182	628	**5,065**
15	मणिपुर	3,856	70	26	2	25	7	25	6	25	5	25	4	**150**
16	मेघालय	7,098	28	10	1	25	3	30	2	-	2	-	1	**74**
17	मिजोरम	875	22	15	1	15	2	15	2	10	1	10	1	**72**
18	नागालैंड	1,642	30	1	1	3	3	3	3	4	2	5	2	**27**
19	ओडिशा	52,245	3,425	1,209	114	714	342	823	285	2,395	228	1,306	171	**7,587**
20	पुदुचेरी	127	102	1	3	1	10	-	9	-	7	-	5	**36**
21	पंजाब	12,784	7,324	476	244	466	732	456	610	415	488	405	366	**4,658**
22	राजस्थान	46,903	16,489	1,300	470	1,340	1,410	1,365	1,175	1,400	940	1,437	705	**11,542**
23	सिक्किम	483	508	15	17	12	51	10	42	10	34	10	25	**226**
24	तमिलनाडु	18,696	10,119	227	297	236	892	248	743	259	595	271	446	**4,214**
25	तेलंगाना	11,226	4,008	372	134	187	401	182	334	84	267	80	200	**2,241**
26	त्रिपुरा	898	85	15	3	15	9	20	7	20	6	20	4	**119**
27	उत्तर प्रदेश	1,10,143	16,488	1,666	500	1,761	1,499	1,856	1,250	1,951	1,000	2,046	749	**14,278**
28	उत्तराखंड	17,325	2,550	222	85	193	255	193	213	188	170	166	128	**1,813**
29	पश्चिम बंगाल	41,006	1,570	295	52	301	157	310	131	241	105	244	79	**1,915**
	कुल योग	**6,57,983**	**1,59,557**	**13,973**	**4,642**	**10,749**	**13,925**	**10,024**	**11,607**	**11,453**	**9,285**	**10,387**	**6,963**	**1,03,008**

स्रोत: एनडीडीबी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना

तालिका 2.1 एनडीडीबी – नए एम-डीसीएस का गठन (वार्षिक लक्ष्य)

वर्ष	नया एम-डीसीएस	डीसीएस को सशक्त बनाना	कुल डीसीएस
2024-25	13,973	4,642	18,615
2025-26	10,749	13,925	24,674
2026-27	10,024	11,607	21,631
2027-28	11,453	9,285	20,738
2028-29	10,387	6,963	17,350
कुल	**56,586**	**46,422**	**1,03,008**

स्रोत: एनडीडीबी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना

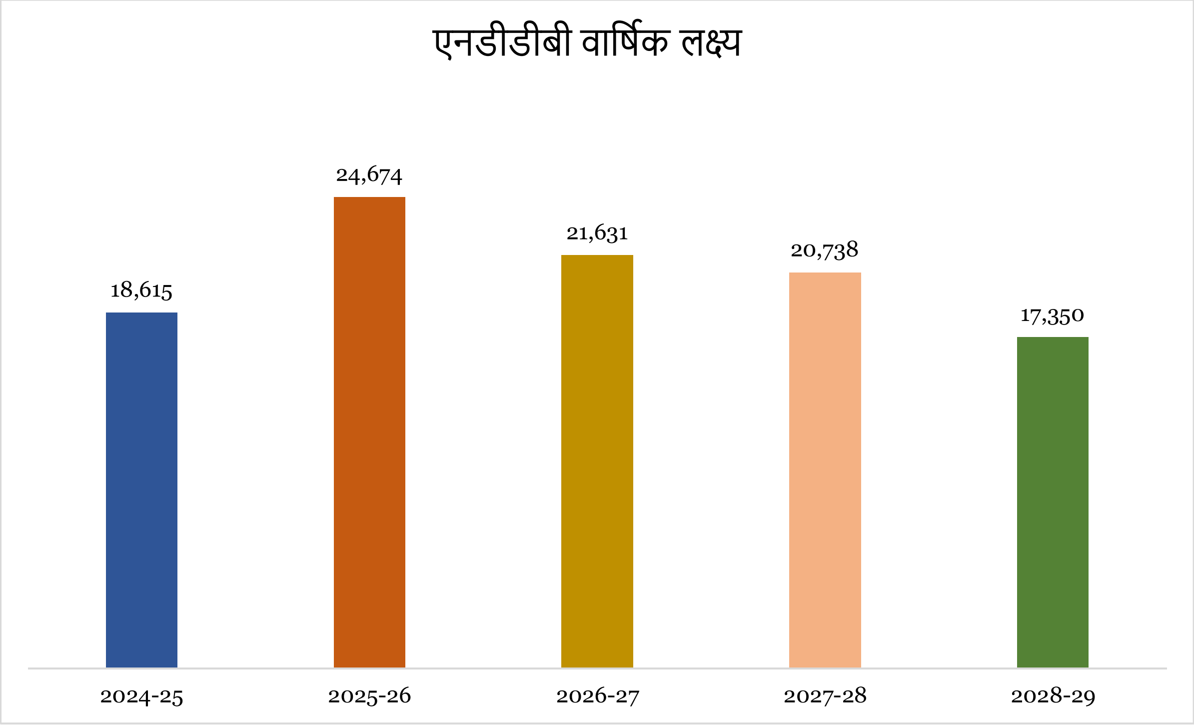

स्रोत: एनडीडीबी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना

आरेखण प्रस्तुति

एनएफडीबी द्वारा नए एम-एफसीएस का गठन

क्र.सं.	आयोजन	एजेंसी	अपेक्षित परिणाम	पूरा होने की समय सीमा
1	**मार्गदर्शिका का विमोचन**	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	एसओपी, कार्यान्वयन तंत्र, भूमिका और जिम्मेदारी, लक्ष्य और समयसीमा पर हितधारकों का संवेदीकरण करना	**सितंबर 2024**
2	**एफसीएस के लिए मॉडल उप-नियमों की समीक्षा और तैयारी**	एनएफडीबी, राज्य सरकार, तथा राज्य मत्स्य संघ	**एफसीएस के लिए मॉडल उपनियम** • एनएफडीबी, राज्य सरकार (आर सी एस और मात्स्यिकी विभाग) तथा राज्य संघ पैक्स के लिए मॉडल उप-नियमों की तर्ज पर एफसीएस के लिए उप-नियमों का विश्लेषण और अनुकूलन करेंगे	**अक्टूबर 2024**
3	**क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यशालाएं**	एनएफडीबी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग	**हितधारक बैठक** • एम-एफसीएस के गठन के लिए उपनियमों में संशोधन पर सभी हितधारकों का संवेदीकरण करना	**अक्टूबर 2024**
4	**अनाच्छादित ग्राम पंचायत/संभावित गांवों का मानचित्रण और पहचान**	एनएफडीबी, राज्य सरकार, राज्य स्तरीय मत्स्य संघ	• संभावित गांवों की पहचान और सूची तैयार करना जहां नए एम-एफसीएस का गठन किया जाएगा • परिसमापन हेतु निष्क्रिय मत्स्य सहकारी समितियों का मानचित्रण	**दिसंबर 2024**

क्र.सं.	आयोजन	एजेंसी	अपेक्षित परिणाम	पूरा होने की समय सीमा
5	**कार्य योजना की तैयारी और अंतिम रूप देना**	एनएफडीबी, राज्य सरकार तथा राज्य स्तरीय मत्स्य संघ	• राज्य एवं जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार करना	**जनवरी 2025**
6	**डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना**	एनएफडीबी तथा जेडब्ल्यूसी	• जेडब्ल्यूसी के माध्यम से निगरानी और समीक्षा हेतु डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना	**जनवरी 2025**
7	**मछलीपालकों/संबद्ध श्रमिकों का एकत्रीकरण**	एनएफडीबी और मत्स्य विभाग	• नई मत्स्य सहकारी समितियों के गठन हेतु किसानों को संगठित करना	**फरवरी 2025**
8	**नए एम-एफसीएस का पंजीकरण और एफसीएस के लिए मॉडल उपनियमों को अपनाना**	जिला सहकारिता/ मत्स्य विभाग के सक्षम प्राधिकारी	• नए एम-एफसीएस का पंजीकरण और मॉडल उप-नियमों को अपनाना • समाप्त हो चुकी मत्स्य सहकारी समितियों के स्थान पर नई मत्स्य सहकारी समितियों का गठन	**फरवरी 2025 तक आदर्श उपनियमों को अपनाना** **मार्च 2025 तक परिसमाप्त मत्स्य सहकारी समितियों के स्थान पर नई मत्स्य सहकारी समितियों का गठन**
9	**जिला/ राज्य स्तरीय संघों से संबद्धता**	एनएफडीबी, राज्य स्तरीय मत्स्य महासंघ और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग	• नवगठित मत्स्य सहकारी समितियों को जिला एवं राज्य मत्स्य संघों से संबद्ध करने में सहायता किया जाना	**मार्च 2025**
10	**मत्स्य सहकारी समितियों के निदेशक मंडल, प्रबंधन समिति,**	एनएफडीबी और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग	मत्स्य सहकारी समितियों को एफसीएस द्वारा की जा सकने वाली संभावित अतिरिक्त गतिविधियों,	**सतत प्रक्रिया**

क्र.सं.	आयोजन	एजेंसी	अपेक्षित परिणाम	पूरा होने की समय सीमा
	सचिव और सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण		इसके लाभों और ऐसा करने के तौर-तरीकों के बारे में जागरूक किया जाना	
11	**व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (फॉरवर्ड लिंकेज) का प्रारंभ**	एनएफडीबी	**एम-एफसीएस के लिए आदर्श उपनियमों को अपनाना** • एम-एफसीएस पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ करेगा और व्यवसाय संचालन शुरू करेगा • एम-एफसीएस व्यवसाय विकास योजना (*सहकार से समृद्धि योजना*) के अनुसार विभिन्न सेवाएं शुरू करेगा	**अप्रैल 2025**
12	**योजनाओं के साथ अभिसरण**	एनएफडीबी, और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग	कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ मत्स्य सहकारी समितियों तक पहुंचाया जाना	**सतत प्रक्रिया**
स्रोत: एनएफडीबी द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना				

गैंट चार्ट (3.1): कार्य योजना (वित्त वर्ष 2024-25) – एनएफडीबी

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	सितम्बर-24	अक्टूबर-24	नवम्बर-24	दिसम्बर-24	जनवरी-25	फ़रवरी-25	मार्च-25	अप्रैल-25
1	मार्गदर्शिका का विमोचन	सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार								
2	एफसीएस के लिए मॉडल उप-नियम तैयार किया जाना तथा उसकी समीक्षा	एनएफडीबी, राज्य मत्स्य संघ								
3	क्षेत्रीय/जिला स्तरीय कार्यशालाएं	एनएफडीबी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग								
4	अनाच्छादित ग्राम पंचायत/संभावित गांवों का मानचित्रण और पहचान	एनएफडीबी, राज्य सरकार, राज्य स्तरीय मत्स्य संघ								
5	कार्य योजना की तैयारी और अंतिम रूप देना	एनएफडीबी, राज्य स्तरीय मत्स्य संघ								
6	डीसीडीसी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करना	एनएफडीबी, मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग,								
7	मछुआरों/मत्स्यपालकों/संबद्ध श्रमिकों का एकत्रीकरण	एनएफडीबी और मत्स्य विभाग								
8	नए एम-एफसीएस का पंजीकरण और एफसीएस के लिए मॉडल उपनियमों को अपनाना	जिला सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी								
9	जिला/राज्य संघों से संबद्धता	एनएफडीबी, राज्य स्तरीय मत्स्य महासंघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग								
10	व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (फॉरवर्ड लिंकेज) का प्रारंभ	एनएफडीबी								
11	मत्स्य सहकारी समितियों के निदेशक मंडल, प्रबंधन समिति, सचिव और सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	एनएफडीबी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग								
12	योजनाओं के साथ अभिसरण	एनएफडीबी, और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग								

गैंट चार्ट (3.2): कार्य योजना (वित्त वर्ष 2025-26) – एनएफडीबी

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	मई-25	जून 25	जुलाई-25	अगस्त-25	सितम्बर	अक्टूबर-	नवंबर-25	दिसम्बर-	जनवरी-	फ़रवरी-	मार्च-26
1	**नए एम-एफसीएस का पंजीकरण और एफसीएस के लिए मॉडल उपनियमों को अपनाना**	जिला सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी											
2	**जिला/राज्य संघों से संबद्धता**	एनएफडीबी, राज्य स्तरीय मत्स्य महासंघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											
3	**व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (फॉरवर्ड लिंकेज) का प्रारंभ**	एनएफडीबी											
4	**मत्स्य सहकारी समितियों के निदेशक मंडल, प्रबंधन समिति, सचिव और सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण**	एनएफडीबी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											
5	**योजनाओं के साथ अभिसरण**	एनएफडीबी, और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											

गैंट चार्ट (3.3): कार्य योजना (वित्त वर्ष 2026-27) – एनएफडीबी

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	मई-26	जून 26	जुलाई-26	अगस्त-	सितम्बर-	अक्टूबर-	नवंबर-26	दिसम्बर-	जनवरी-	फ़रवरी-	मार्च-27
1	**नए एम-एफसीएस का पंजीकरण और एफसीएस के लिए मॉडल उपनियमों को अपनाना**	जिला सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी											
2	**जिला/राज्य संघों से संबद्धता**	एनएफडीबी, राज्य स्तरीय मत्स्य महासंघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											
3	**व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (फॉरवर्ड लिंकेज) का प्रारंभ**	एनएफडीबी											
4	**मत्स्य सहकारी समितियों के निदेशक मंडल, प्रबंधन समिति, सचिव और सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण**	एनएफडीबी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											
5	**योजनाओं के साथ अभिसरण**	एनएफडीबी, और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											

गैंट चार्ट (3.4): कार्य योजना (वित्त वर्ष 2027-28) – एनएफडीबी

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायित्व	मई-27	जून-27	जुलाई-27	अगस्त-	सितम्बर-	अक्टूबर-	नवम्बर-	दिसम्बर-	जनवरी-	फ़रवरी-	मार्च-28
1	**नए एम-एफसीएस का पंजीकरण और एफसीएस के लिए मॉडल उपनियमों को अपनाना**	जिला सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी											
2	**जिला/राज्य संघों से संबद्धता**	एनएफडीबी, राज्य स्तरीय मत्स्य महासंघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											
3	**व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (फॉरवर्ड लिंकेज) का प्रारंभ**	एनएफडीबी											
4	**मत्स्य सहकारी समितियों के निदेशक मंडल, प्रबंधन समिति, सचिव और सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण**	एनएफडीबी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											
5	**योजनाओं के साथ अभिसरण**	एनएफडीबी, और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											

गैंट चार्ट (3.5): कार्य योजना (वित्त वर्ष 2028-29) – एनएफडीबी

क्र.सं	गतिविधि	उत्तरदायित्व	मई-28	जून-28	जुलाई-	अगस्त-	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर-	दिसम्बर	जनवरी-	फ़रवरी-	मार्च-29
1	**नए एम-एफसीएस का पंजीकरण और एफसीएस के लिए मॉडल उपनियमों को अपनाना**	जिला सहकारिता विभाग के सक्षम प्राधिकारी											
2	**जिला/राज्य संघों से संबद्धता**	एनएफडीबी, राज्य स्तरीय मत्स्य महासंघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											
3	**व्यवसाय विकास योजना (सहकार से समृद्धि योजना) के साथ व्यवसाय संचालन (फॉरवर्ड लिंकेज) का प्रारंभ**	एनएफडीबी											
4	**मत्स्य सहकारी समितियों के निदेशक मंडल, प्रबंधन समिति, सचिव और सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण**	एनएफडीबी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											
5	**योजनाओं के साथ अभिसरण**	एनएफडीबी, और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग											

तालिका 3. एनएफडीबी लक्ष्य (राज्यवार, वर्षवार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	कुल
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	6	9	9	42	69
आंध्र प्रदेश	20	40	60	60	20	200
अरुणाचल प्रदेश	5	5	8	8	4	30
असम	30	50	70	60	62	272
बिहार	120	240	360	360	120	1,200
चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	60	120	180	180	60	600
दिल्ली	-	-	-	-	-	-
गोवा	-	5	5	5	5	20
गुजरात	30	50	70	70	30	250
हरियाणा	5	10	15	35	42	107
हिमाचल प्रदेश	2	4	6	6	2	20
जम्मू और कश्मीर	5	10	15	15	5	50
झारखंड	50	100	150	150	50	500
कर्नाटक	25	50	75	75	25	250
केरल	2	4	100	180	177	463
लद्दाख	2	2	2	2	2	10
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	150	300	400	600	50	1,500
महाराष्ट्र	80	120	150	150	100	600
मणिपुर	10	20	100	106	153	389
मेघालय	10	20	30	30	10	100
मिजोरम	10	20	30	30	10	100
नागालैंड	10	20	50	50	83	213
ओडिशा	55	110	100	250	35	550
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
पंजाब	20	40	60	60	20	200
राजस्थान	10	20	30	50	47	157
सिक्किम	2	4	6	6	2	20
तमिलनाडु	15	25	50	75	85	250
तेलंगाना	50	100	100	200	50	500
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	-	-	9	9
त्रिपुरा	10	20	30	30	10	100
उत्तर प्रदेश	200	400	581	649	170	2,000
उत्तराखंड	20	30	40	30	30	150
पश्चिम बंगाल	40	65	85	120	40	350
कुल	**1,051**	**2,010**	**2,967**	**3,651**	**1,550**	**11,229**

स्रोत: एनएफडीबी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाएं

तालिका 3.1 एनएफडीबी – नए एम-एफसीएस का गठन (वार्षिक लक्ष्य)

वर्ष	**नए एफसीएस के लिए लक्ष्य**
2024-25	1,051
2025-26	2,010
2026-27	2,967
2027-28	3,651
2028-29	1,550
कुल	**11,229**

स्रोत: एनएफडीबी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाएं

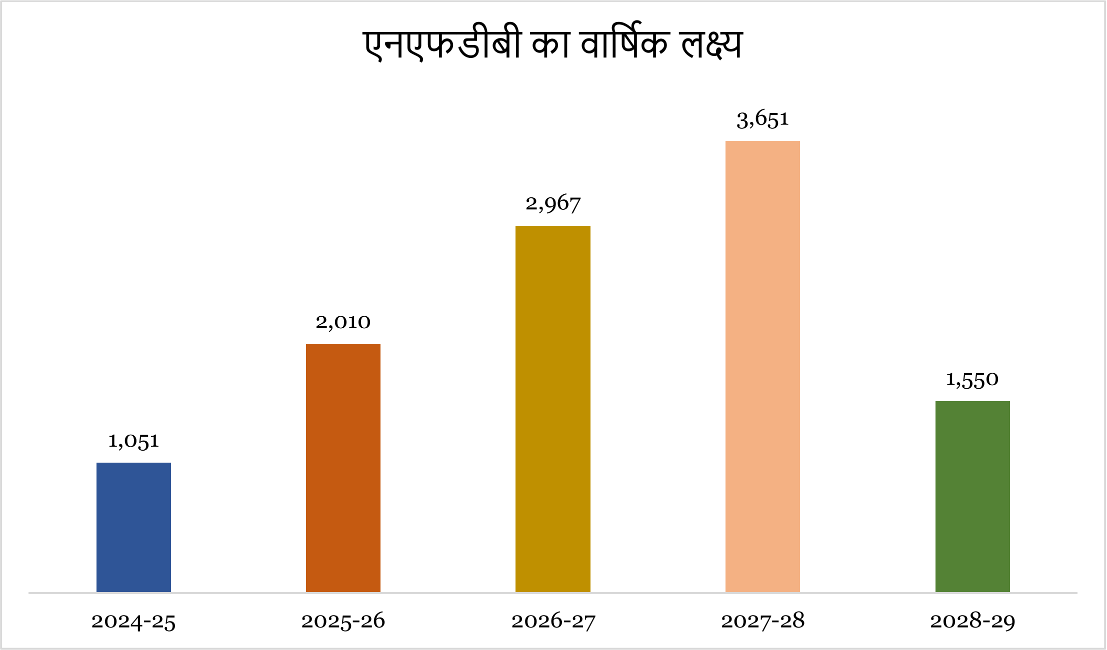

स्रोत: एनएफडीबी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाएं

आरेखण प्रस्तुति

सत्यमेव जयते

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

मंत्रालय की वैबसाइट एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नीचे दिये गए QR कोड को स्कैन करे –

सहकार से समृद्धि

Website - https://www.cooperation.gov.in/

Twitter Handle - https://x.com/MinOfCooperatn

YouTube Channel - https://www.youtube.com/MinOfCooperatn

Instagram Page - https://www.instagram.com/minofcooperatn

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/minofcooperatn/

सहकारिता मंत्रालय,
अटल अक्षय ऊर्जा भवन
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003